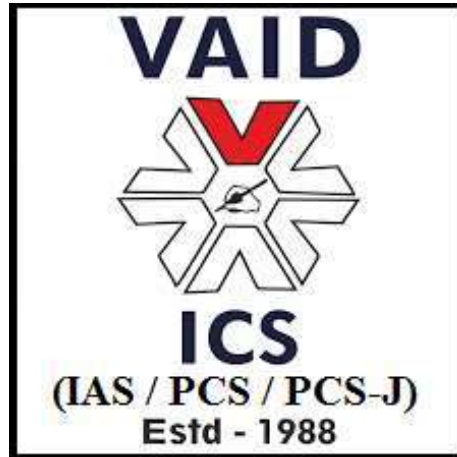


VAID ICS LUCKNOW



करेंट अफेयर्स मैगज़ीन
यूपीएससी / यूपी पीसीएस
अक्टूबर, 2025



B-36, SECTOR-C, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

क्र. सं.	टॉपिक	क्रम सं.	टॉपिक
1.	लखनऊ: "क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोंमी"		प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य
2.	ISRO की सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च करने की तैयारी	1.	समुद्री आनुवंशिक संसाधन
3.	एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस (ईएमसीवी) वायरस	2.	टिग्राय पीपल्स लिबरेशन फ्रंट
4.	अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना (EPEP)	3.	G2 (ग्रुप ऑफ़ टू)
5.	हाई सीज़स ट्रीटी (BBNJ एग्रीमेंट)	4.	भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (IAFS)
6.	GPS स्पूफिंग	5.	उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र
7.	केंद्रीय राजस्व लेखा (CRA) एवं केंद्रीय व्यय लेखा (CEA) कैडर	6.	चक्रवात 'मोंथा
8.	पुनर्सांगछू-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट	7.	आइनी एयरबेस
9.	रीज़स मैककाक की सुरक्षा		
10.	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP)		
11.	नकद हस्तांतरण: चुनौतियाँ		
12.	COP 30 – प्रगति, समस्याएँ, आगे का रास्ता		
13.	रिसिन		
14.	U.P. में जिला-स्तरीय उपभोग व्यय		
15.	COP30, बेलें (ब्राज़ील)		
16.	रिफ्ट वैली फीवर		
17.	इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IEDs)		
18.	प्लास्टिक विस्फोटकों के चिन्हांकन पर सम्मेलन (1991)		
19.	"मन एंड द बायोस्फीयर" कार्यक्रम		
20.	पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP V2.0)		
21.	प्रोजेक्ट चीता		
22.	आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक-4		
23.	आसियान शिखर सम्मेलन 2025		
24.	वंदे मातरम् : भारत का राष्ट्रगीत		
25.	एआई मंत्री "डिएला" और डिजिटल शासन		
26.	काकीनाडा बंदरगाह		
27.	महुआदानर भेड़िया अभयारण्य		
28.	Sevilla Forum on Debt		

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव (UNSCR) 1325

समाचार में क्यों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने 31 अक्टूबर 2000 को UNSCR 1325 को सर्वसम्मति से अपनाया, जिसकी अध्यक्षता नामीबिया ने की थी।

- इस प्रस्ताव ने संघर्ष रोकथाम, शांति स्थापना और संघर्षोपरांत पुनर्वास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी।
- 25 साल बाद भी यह एजेंडा उतना ही प्रासंगिक है, विशेषकर बढ़ते संघर्ष और लिंग समानता में पीछे हटने के परिप्रेक्ष्य में।

पृष्ठभूमि:

- प्रस्ताव का नेतृत्व नामीबिया की महिला मामलों की मंत्री, नेटुम्बो नंदी-नडैतवाह ने किया, जबकि सिविल सोसाइटी और अनवरुल चौधरी (बांग्लादेश) जैसे नेताओं का समर्थन भी रहा।
- UNSCR 1325 ने निम्नलिखित पर जोर दिया:
 - शांति प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी।
 - महिलाओं और लड़कियों को लैंगिक और यौन हिंसा से सुरक्षा।
 - संयुक्त राष्ट्र की शांति और सुरक्षा गतिविधियों में लिंग मुख्यधारा को लागू करना।
- 2000 के बाद, 9 अनुसरणीय प्रस्तावों ने WPS (Women, Peace & Security) ढांचे को और मजबूत किया।
- हालांकि, कार्यान्वयन कमजोर है और अधिकांश प्रगति सिविल सोसाइटी द्वारा संचालित होती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य और तत्परता:

- Georgetown Institute for Women, Peace and Security Index के अनुसार, 676 मिलियन महिलाएं और लड़कियां सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों के 50 किमी भीतर रहती हैं — जो हाल की सबसे बड़ी संख्या है।
- बढ़ती हिंसा, अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही में गिरावट, और घटती वित्तीय मदद WPS प्रगति को खतरे में डालती है।

वैश्विक केस स्टडीज़:

अफगानिस्तान:

- DROPS जैसी महिलाओं की समूह तालिबान शासन के तहत महिलाओं का समर्थन करने के लिए अंडरग्राउंड डिजिटल नेटवर्क चलाती हैं।
- अफगान महिलाएँ लैंगिक अपार्वेड को अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने की वकालत कर रही हैं।

म्यांमार:

- महिलाएं लोकतंत्र समर्थक और मानवाधिकार रक्षक का लगभग 60% हिस्सा हैं।
- वे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, दुरुपयोग दस्तावेज़ीकरण और स्थानीय शासन नेटवर्क स्थापित करती हैं — WPS के सिद्धांतों का वास्तविक समय में कार्यान्वयन।

यूक्रेन:

- युद्ध के दौरान भी संघर्ष-संबंधित यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए अस्थायी मुआवजा की शुरुआत की।

- **Alliance for a Gender-Responsive and Inclusive Recovery** (\$48 मिलियन) का नेतृत्व किया।
- रूस पर युद्धकालीन यौन हिंसा के लिए **UN को जवाबदेह ठहराने** का दबाव।

कोलंबिया:

- 2016 के **FARC शांति समझौते** में **लिंग समावेशन** का वैश्विक मॉडल।
- महिलाओं की सिविल सोसाइटी और **Gender Sub-Commission** ने लिंग-संवेदी प्रावधान सुनिश्चित किए।
- स्थानीय महिलाएं (जैसे **Afro-Colombian ARTivists**) लगातार शांति निर्माण में लगी हैं, बावजूद कि अंतरराष्ट्रीय फंडिंग घट रही है।

यमन:

- महिलाओं ने **युद्धरत जनजातियों के बीच पानी साझा करने के समझौते** में मध्यस्थता की (उदाहरण: Food4Humanity)।
- यह दर्शाता है कि **स्थानीय स्तर पर संघर्ष रोकथाम और मानव सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका** कितनी महत्वपूर्ण है।

लखनऊ : यूनेस्को "क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी"

समाचार में क्यों? 1 नवम्बर 2025 को लखनऊ को आधिकारिक रूप से यूनेस्को (UNESCO) द्वारा "क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी" के रूप में नामित किया गया है। यह घोषणा यूनेस्को की महानिदेशक **ऑड्री अज़ूले (Audrey Azoulay)** ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित **यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के 43वें सत्र** के दौरान की। लखनऊ की समृद्ध और विविध **अवधी व्यंजनों की परंपरा** ने इसे यह वैश्विक मान्यता दिलाई है।

मुख्य तथ्य :

- **दूसरा भारतीय शहर:** लखनऊ अब **हैदराबाद (2019)** के बाद गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में यूनेस्को की **क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN)** में शामिल होने वाला **दूसरा भारतीय शहर** बन गया है।
- **वैश्विक नेटवर्क:** लखनऊ के साथ 57 अन्य नए शहर भी इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं। अब कुल मिलाकर **408 शहर और 100 से अधिक देश** इस नेटवर्क का हिस्सा हैं।
- **प्रभाव:** इस मान्यता से **पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय खाद्य उद्यमियों को सहयोग, और शहर की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को मजबूती** मिलने की उम्मीद है।

गैस्ट्रोनॉमी क्या है?

गैस्ट्रोनॉमी "अच्छा खाने की कला और विज्ञान" है। यह सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह **भोजन की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, भूगोल और समाज से जुड़ा एक व्यापक अध्ययन** है।

गैस्ट्रोनॉमी के प्रकार:

1. **सांस्कृतिक गैस्ट्रोनॉमी (Cultural Gastronomy):** यह अध्ययन करता है कि भोजन किसी समुदाय की परंपराओं, मूल्यों और पहचान को कैसे दर्शाता है।

2. **मॉलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी (Molecular Gastronomy):** भोजन पकाने की एक वैज्ञानिक पद्धति जिसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन (जैसे फोम, जेल, लिक्विड नाइट्रोजन आदि) का अध्ययन किया जाता है।
3. **सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी (Sustainable Gastronomy):** पर्यावरण-अनुकूल और स्थानीय संसाधनों से जुड़े खाद्य अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्रकृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था का सम्मान करते हैं।

यूनेस्को "क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी" का अर्थ:

जब किसी शहर को यह उपाधि दी जाती है, तो इसका मतलब होता है कि —

- उस शहर की **समृद्ध पाक विरासत (Culinary Heritage)** है।
- **स्थानीय व्यंजन** उसकी **अर्थव्यवस्था और संस्कृति** का अहम हिस्सा हैं।
- शहर **सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिस, कुकिंग इनोवेशन, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान** को बढ़ावा देता है।

यूनेस्को "क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी" के कुछ उदाहरण:

- **अल्बा (इटली)** – ट्रफल्स के लिए प्रसिद्ध
- **गाज़ियाटेप (तुर्की)** – पिस्ता और बक्लावा के लिए मशहूर
- **हैदराबाद (भारत)** – हैदराबादी बिरयानी के लिए प्रसिद्ध
- **चेंगदू (चीन)** – सिचुआन व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध
- **पार्मा (इटली)** – पार्मेज़ान चीज़ और प्रोसियुटो के लिए
- **जियॉनजू (दक्षिण कोरिया)** – बिबिंबाप और पारंपरिक भोजन संस्कृति के लिए
- **टक्सन (अमेरिका)** – स्थानीय कृषि पर आधारित सस्टेनेबल फूड परंपराओं के लिए

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) के बारे में:

यूनेस्को ने **2004** में यह पहल शुरू की थी ताकि वे शहर जो रचनात्मकता (Creativity) को **सतत शहरी विकास, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार** का प्रमुख साधन मानते हैं, उन्हें एक वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

उद्देश्य:

- उन शहरों के बीच **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** को बढ़ाना जिन्होंने रचनात्मकता को विकास का आधार बनाया है।
- **श्रेष्ठ प्रथाओं (Best Practices)** का आदान-प्रदान और साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- **रचनात्मक उद्योगों (Creative Industries)** के माध्यम से सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना।

क्रिएटिव सिटीज के सात क्षेत्र:

1. **हस्तशिल्प और लोक कला (Crafts and Folk Art)**
2. **डिज़ाइन (Design)**
3. **फिल्म (Film)**
4. **गैस्ट्रोनॉमी (Gastronomy)**
5. **साहित्य (Literature)**
6. **मीडिया आर्ट्स (Media Arts)**
7. **संगीत (Music)**

कौन-सा शहर “क्रिएटिव सिटी” बन सकता है?

ऐसे शहर जिन्हें —

- चुने गए क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सक्रिय रचनात्मक क्षेत्र हो।
- अपनी शहरी विकास योजनाओं में रचनात्मकता को शामिल करने की प्रतिबद्धता हो।
- UCCN के लक्ष्यों से मेल खाने वाले चार वर्षीय कार्ययोजना (Action Plan) प्रस्तुत करनी होती है।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के उदाहरण:

- मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) – साहित्य
- बर्लिन (जर्मनी) – डिज़ाइन
- बोलोनिया (इटली) – संगीत
- जयपुर (भारत) – हस्तशिल्प और लोक कला
- पोपायन (कोलंबिया) – गैस्ट्रोनॉमी
- बुसान (दक्षिण कोरिया) – फिल्म

ISRO ने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च करने की तैयारी की

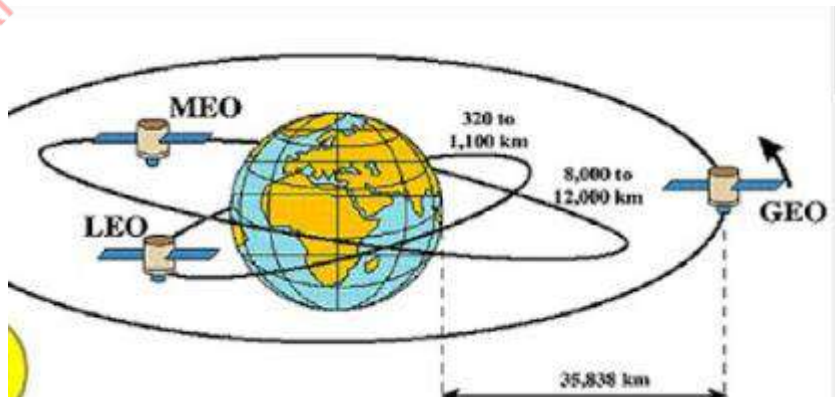
समाचार में क्यों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2 नवंबर, 2025 को श्रीहरिकोटा से अपने 4,000 किलोग्राम से अधिक भार वाले संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

मुख्य बिंदु:

CMS-03 उपग्रह लॉन्च:

- CMS-03 का वजन 4,410 किलोग्राम है और यह भारतीय धरती से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी उपग्रह होगा।
- यह उपग्रह भारत और आसपास के महासागरों में मल्टी-बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा।

Types of Orbits



लॉन्च वाहन:

- इसे ISRO के **LVM3-M5 रॉकेट (GSLV Mk III)** पर लॉन्च किया जाएगा, जो **43.5 मीटर लंबा**, तीन-स्टेज वाला हेवी-लिफ्ट वाहन है।
- रॉकेट में **दो ठोस स्टैप-ऑन (S200)**, **लिक्विड कोर स्टेज (L110)** और **क्रायोजेनिक अपर स्टेज (C25)** शामिल हैं।
- पिछला LVM3 मिशन **चंद्रयान-3** था, जिसने भारत को 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश बनाया।

तकनीकी विशेषताएँ:

- LVM3 GTO में **4,000 किलोग्राम तक** और LEO में **8,000 किलोग्राम तक** उपग्रह ले जा सकता है।
- **S200 ठोस बूस्टर** प्रारंभिक थ्रस्ट प्रदान करते हैं, जबकि **L110 लिक्विड स्टेज**, जिसमें **दो विकास इंजन** लगे हैं, ISRO के LPSC द्वारा विकसित किया गया है।

महत्त्व:

- यह लॉन्च भारत की **भारी संचार उपग्रह लॉन्च करने की पूरी स्वायत्तता** को दर्शाता है।
- LVM3 की **ऑपरेशनल सफलता** को और मजबूत करता है।
- भारतीय धरती से **भारी उपग्रहों के स्वतंत्र लॉन्च** की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा।

एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस (ईएमसीवी) वायरस

खबरों में क्यों? दिल्ली चिड़ियाघर के एकमात्र **अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत** उसके हृदय को प्रभावित करने वाले वायरल संक्रमण के कारण हुई, जैसा कि उसकी अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है।

हृदय की मांसपेशियों में सूजन पैदा करने वाले **एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस (ईएमसीवी) वायरस** को मौत का कारण बताया गया है।

कृतक जनित रोग (Rodent-borne diseases) :

कृतक जनित रोग वे रोग हैं जो मनुष्यों में चूहों, मूषक, गिलहरियों या अन्य समान स्तनधारियों (rodents) के माध्यम से फैलते हैं। ये रोग या तो सीधे कृतकों के संपर्क से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके मल, मूत्र, लार, या उन पर रहने वाले परजीवियों (जैसे पिस्सू, किलनी आदि) के माध्यम से फैलते हैं।

संक्रमण के तरीके:

1. **काटने या खरोंचने से** – जब कृतक इंसान को काटता या खरोंचता है।
2. **मल, मूत्र या लार के संपर्क से** – संक्रमित सतहों को छूने या दूषित पानी/खाद्य पदार्थों के सेवन से।
3. **साँस के ज़रिए (Inhalation)** – कृतक के सूखे मल या मूत्र के कणों के धूल में मिल जाने से।
4. **पिस्सू, किलनी या माइट्स के माध्यम से** – जो संक्रमित कृतकों पर रहते हैं और मनुष्यों को काटते हैं।

कृतक जनित प्रमुख रोग:

हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (Hantavirus Pulmonary Syndrome – HPS)

- **कारण:** हंटावायरस (मुख्य रूप से हिरण चूहे, सफेद पैरों वाले चूहे आदि से)
- **संक्रमण का तरीका:** संक्रमित कृतक के मल या मूत्र से दूषित धूल के साँस के ज़रिए प्रवेश से।
- **लक्षण:** तेज़ बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गंभीर साँस लेने में तकलीफ़।
- **मृत्युदर:** लगभग 38% (यदि उपचार न हो)।
- **स्थान:** ग्रामीण इलाकों, खेतों, गोदामों या झोपड़ियों में अधिक सामान्य।

लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis)

- **कारण:** *Leptospira* नामक बैक्टीरिया, जो कृतक के मूत्र में पाया जाता है।
- **संक्रमण का तरीका:** दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क से, विशेष रूप से बाढ़ या गंदे पानी के माध्यम से।
- **लक्षण:** बुखार, पीलिया, गुर्दे और जिगर को नुकसान।
- **गंभीर रूप:** "वील्स डिज़ीज़" (Weil's disease)।

रैट-बाइट फीवर (Rat-Bite Fever – RBF)

- **कारण:** *Streptobacillus moniliformis* या *Spirillum minus*।
- **संक्रमण का तरीका:** चूहे के काटने या खरोंच से, या दूषित भोजन/पानी के सेवन से।
- **लक्षण:** बुखार, त्वचा पर दाने (रैश), जोड़ों में दर्द, उल्टी।

साल्मोनेल्लोसिस (Salmonellosis)

- **कारण:** *Salmonella* बैक्टीरिया।
- **संक्रमण का तरीका:** कृतक के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन।
- **लक्षण:** दस्त, बुखार, पेट दर्द।

लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंगीटिस (Lymphocytic Choriomeningitis – LCM)

- **कारण:** LCM वायरस (मुख्य रूप से घर के चूहों से)।
- **संक्रमण का तरीका:** कृतक के मूत्र, मल या घोंसले के पदार्थों के संपर्क से।
- **लक्षण:** फ्लू जैसे — बुखार, सिरदर्द, थकान।
- **जोखिम:** गर्भवती महिलाओं में भ्रूण को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।

सावधानी के उपाय (Prevention):

- घर और आस-पास कृतकों को न पनपने दें।
- भोजन और पानी को सुरक्षित ढँककर रखें।
- कृतक के मल या मूत्र को साफ़ करते समय मास्क और दस्ताने पहनें।
- पालतू जानवरों के खाने के स्थान को साफ़ रखें।
- बाढ़ या दूषित पानी में न नहाएँ या बिना सुरक्षा के संपर्क न करें।

अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना (EPEP)

समाचार में क्यों? 1 नवंबर 2025 को *केरल पिरवी दिवस* के अवसर पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि केरल ने अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) को समाप्त कर दिया है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह घोषणा *अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना (EPEP)* — जो 2021 में शुरू की गई थी — की परिणति के रूप में की गई, और इसे एक बड़ी सामाजिक कल्याण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया।

मुख्य तथ्य:

- 1973-74 में राज्य में गरीबी की दर 59.74% थी, जो 2011-12 में घटकर 11.3% रह गई।
- नीति आयोग के अनुसार, 2019-21 में केरल का *बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)* 0.55% था — जो भारत में सबसे कम है।

केरल का दावा:

सरकार ने कहा कि —

- पूरे राज्य में लगभग 64,000 “अत्यंत गरीब” परिवारों की पहचान की गई।
- इन परिवारों के पास सुरक्षित आवास, भोजन, आय या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी।
- *Life Mission*, *कुटुंबश्री*, *आरोग्य किरणम* और सामाजिक पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से इन्हें सहायता दी गई।
- इन हस्तक्षेपों से सभी परिवारों को गरीबी से बाहर लाया गया और इस प्रकार राज्य ने स्वयं को “गरीबी-मुक्त” घोषित किया।

उठाए गए कदम:

- **सर्वेक्षण व पहचान:** स्थानीय निकायों ने सबसे वंचित परिवारों की पहचान गरीबी के दृश्यमान संकेतकों के आधार पर की।
- **योजनाओं का अभिसरण:** परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया।
- **स्थानीय शासन की भूमिका:** पंचायतों को लाभ की निगरानी और सुनिश्चित डिलीवरी का कार्य सौंपा गया।
- **समावेशन पर ध्यान:** अनुसूचित जनजाति, दलित और तटीय समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुद्दे और आलोचनाएँ:

- **संकीर्ण परिभाषा:** “अत्यधिक गरीबी” की परिभाषा ने कई ऐसे परिवारों को बाहर रखा जो अस्थिर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, पर उन्हें *destitute* नहीं माना गया।
- **प्रबंधन आधारित दृष्टिकोण:** सफलता को सूची से नाम हटाने के आधार पर मापा गया, न कि सम्मान और अवसर के आधार पर।
- **अस्थायी राहत:** कई उपाय अस्थायी सहायता थे, रोजगार सुरक्षा या असमानता जैसी संरचनात्मक समस्याओं को हल नहीं करते।

- **राजनीतिक दृष्टिकोण:** गरीबी उन्मूलन की घोषणा से नीति-निर्माण में आत्मसंतोष पैदा हो सकता है और आगे की सामाजिक मांगें कमज़ोर हो सकती हैं।
- **स्थायी असमानताएँ:** दलितों और आदिवासियों में भूमिहीनता, असुरक्षित अनौपचारिक रोजगार, और क्षेत्रीय असमानताएँ अब भी बनी हुई हैं।

आगे का रास्ता:

- गरीबी की परिभाषा को अधिकार-आधारित और बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना होगा।
- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक रोजगार के अवसरों को मज़बूत किया जाए।
- भूमि, शिक्षा और स्वास्थ्य में समान पहुंच सुनिश्चित कर संरचनात्मक असमानताओं को दूर किया जाए।
- पंचायतों व स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए *सहभागी शासन* को बढ़ावा दिया जाए।
- निरंतर निगरानी और मूल्यांकन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उपलब्धियाँ स्थायी रहें।

निष्कर्ष:

केरल की यह घोषणा एक प्रतीकात्मक और प्रशासनिक उपलब्धि है, जो राज्य की कल्याणकारी सोच को दर्शाती है। लेकिन वास्तविक गरीबी उन्मूलन के लिए असमानता और सामाजिक बहिष्कार की जड़ों से निपटना आवश्यक है। **केरल मॉडल** की नैतिक विरासत को बनाए रखने के लिए, राज्य को आंकड़ों से आगे बढ़कर न्याय, गरिमा और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सशक्त बनाना होगा।

हाई सीज़स ट्रीटी (BBNJ एग्रीमेंट)

समाचार में क्यों? सितंबर 2025 में हाई सीज़स ट्रीटी को 60 से अधिक देशों ने अनुमोदित किया; अब यह जनवरी 2026 से लागू होगी।

मुख्य उद्देश्य:

- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर जैव विविधता (Biodiversity Beyond National Jurisdiction – BBNJ) का **सतत प्रबंधन**
- संबोधित क्षेत्र: जलवायु परिवर्तन, अति-मत्स्य पालन, प्रदूषण

मुख्य स्तंभ:

समुद्री आनुवंशिक संसाधन (Marine Genetic Resources – MGRs):

- मानवता की सामान्य धरोहर घोषित
- **निष्पक्ष और समान लाभ साझा करना** (आर्थिक और गैर-आर्थिक दोनों)

क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (Area-Based Management Tools – ABMTs):

- इसमें **Marine Protected Areas (MPAs)** शामिल
- विज्ञान और **स्थानीय/आदिवासी ज्ञान** का संयोजन

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessments – EIAs):

- संचयी और सीमा पार प्रभावों के लिए अनिवार्य

ऐतिहासिक समयरेखा:

- **2004:** संयुक्त राष्ट्र में Ad-hoc कार्यसमूह का गठन
- **2011:** 4 मुद्दों पर सहमति (MGRs, ABMTs, EIAs, क्षमता निर्माण)
- **2018–2023:** 4 अंतर-सरकारी सम्मेलनों का आयोजन
- **मार्च 2023:** अंतिम समझौता

प्रमुख चुनौतियाँ:

1. सामान्य धरोहर बनाम हाई सीज़स की स्वतंत्रता:

- समझौता: सामान्य धरोहर केवल MGRs पर लागू होगी
- अनुसंधान और लाभ साझा करने में अस्पष्टता

2. MGR शासन:

- लाभ की गणना/साझा करने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं
- विकसित देशों द्वारा बायोपायरेसी का जोखिम

3. अनपेक्षित सहभागिता:

- अमेरिका, चीन और रूस ने अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया

4. संस्थागत ओवरलैप:

- इसे ISA, RFMOs, UNCLOS के साथ संरेखित करना आवश्यक

अगले कदम:

- MGR लाभ साझा करने की प्रक्रिया स्पष्ट करना
- **MPA का डायनामिक प्रबंधन** और नियमित निगरानी
- जलवायु, जैव विविधता और महासागर प्रतिरोध क्षमता को जोड़ना

हाई सीज़स के बारे में:

- हाई सीज़स = किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र
- शामिल हैं:
 - तट से **200 समुद्री मील से अधिक पानी का क्षेत्र**
 - UNCLOS के तहत **समुद्र तल और भूमिगत खनिज ("the Area")**

वैश्विक कवरेज:

- महासागर की सतह का 64%
- महासागर की मात्रा का 95%
- पृथ्वी की सतह का 50%

कानूनी स्थिति (UNCLOS 1982):

हाई सीज़स की स्वतंत्रता: सभी राज्यों के अधिकार:

1. नौवहन
2. हवाई यात्रा
3. मत्स्य पालन
4. वैज्ञानिक अनुसंधान
5. केबल/पाइपलाइन बिछाना
6. कृत्रिम द्वीप बनाना (सीमित शर्तों के साथ)

GPS स्पूफिंग (GPS Spoofing)

खबरों में क्यों? दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहली बार पिछले कुछ दिनों से GPS स्पूफिंग की समस्या देखी जा रही है। इस वजह से कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं या जयपुर की ओर डायवर्ट करनी पड़ी है, खासकर जब विमान को द्वारका दिशा से उतरना या वसंत कुंज दिशा से उड़ान भरनी होती है।

फिलहाल एयरपोर्ट के मुख्य रनवे का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) अपग्रेड के लिए बंद है।

इस कारण विमान GPS आधारित नेविगेशन (RNP) से लैंड कर रहे हैं।

लेकिन जब GPS सिग्नल नकली (स्पूफ) किए जा रहे हैं, तो विमान सही लोकेशन नहीं जान पाते — जिससे फ्लाइट में रुकावट और भीड़भाड़ बढ़ रही है।

GPS स्पूफिंग और जैमिंग क्या है?

स्पूफिंग (Spoofing):

- स्पूफिंग का मतलब है नकली GPS सिग्नल भेजना, ताकि कोई विमान या GPS डिवाइस यह सोचे कि वह किसी और जगह पर है।
- इससे GPS गलत लोकेशन दिखाने लगता है।

जैमिंग (Jamming):

- जैमिंग का मतलब है GPS सिग्नल को रोक देना, यानी उसी फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा ताकतवर रेडियो सिग्नल भेजना।
- इससे GPS डिवाइस को कोई असली सिग्नल नहीं मिलता।

दोनों ही काम विदेशी रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा किए जा सकते हैं, जो सामान्य नेविगेशन सिस्टम को बाधित करते हैं।

GPS को स्पूफ करना आसान क्यों है?

- GPS के दो प्रकार के सिग्नल होते हैं:
 1. मिलिट्री सिग्नल (P/Y कोड) — सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड।
 2. सिविल सिग्नल (C/A कोड) — खुले और बिना एन्क्रिप्शन वाले।

- चूंकि नागरिक GPS सिग्नल सार्वजनिक हैं, इसलिए हैकर्स या दुश्मन देश इन्हें कॉपी या नकली बनाकर भेज सकते हैं, जिससे GPS सिस्टम भ्रमित हो जाता है।

स्पूफिंग से बचाव (Anti-Spoofing):

एन्क्रिप्टेड मिलिट्री सिग्नल (SAASM Receivers) का इस्तेमाल:

- सबसे सुरक्षित तरीका है SAASM नामक मिलिट्री GPS रिसीवर का उपयोग।
- ये केवल P(Y) कोड पढ़ सकते हैं और नकली सिग्नल से धोखा नहीं खाते।
- लेकिन ये केवल सरकारी और सैन्य इस्तेमाल के लिए होते हैं।

मल्टी-कॉन्स्टेलेशन रिसीवर का उपयोग:

- सिविल GPS रिसीवर कई सैटेलाइट सिस्टम (GPS – अमेरिका, GLONASS – रूस, Galileo – यूरोप, BeiDou – चीन) को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं।
- अगर एक सिस्टम स्पूफ हो जाए, तो बाकी सिस्टम से सत्यापन (cross-check) किया जा सकता है।

GPS के साथ IMU (Inertial Measurement Unit) जोड़ना:

- IMU ऐसे सेंसरों (जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर) से बना होता है जो GPS के बिना भी गति और स्थिति माप सकता है।
- अगर GPS गलत जानकारी दे, तो IMU थोड़े समय तक सही लोकेशन बताता रहता है।
- कोई भी स्पूफर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या असली गति नकली नहीं बना सकता।

जैमिंग से बचाव (Anti-Jamming):

सिग्नल फिल्टरिंग (Signal Filtering):

- रिसीवर में ऐसे फिल्टर लगाए जा सकते हैं जो GPS फ्रीक्वेंसी से बाहर के शोर या नकली सिग्नल को हटा दें।
- यह आउट-ऑफ-बैंड इंटरफेरेंस के लिए अच्छा उपाय है।

IMU का उपयोग:

- अगर GPS सिग्नल बंद हो जाए, तो IMU कुछ सेकंड या मिनटों तक सही स्थिति बताता रहता है।
- इससे नेविगेशन रुकता नहीं।

स्मार्ट एंटेना (CRPA) का प्रयोग:

- Controlled Reception Pattern Antenna (CRPA) में कई एंटेना एलिमेंट होते हैं।
- ये समझ सकते हैं कि हस्तक्षेप (interference) किस दिशा से आ रहा है और उस दिशा में सिग्नल रिसेप्शन को कम (null) कर देते हैं।
- इससे जैमिंग सिग्नल को नजरअंदाज कर असली GPS सिग्नल पकड़े जा सकते हैं।

यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है?

- GPS स्पूफिंग और जैमिंग से विमानों की नेविगेशन, सैन्य अभियान, और रोजमर्रा की सेवाएं (जैसे Google Maps, बैंकिंग, संचार) प्रभावित हो सकते हैं।

- IGI एयरपोर्ट पर यह समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि मुख्य रनवे का ILS सिस्टम अपग्रेड के लिए बंद है — जिससे पायलट GPS पर ज्यादा निर्भर हैं।

केंद्रीय राजस्व लेखा (CRA) एवं केंद्रीय व्यय लेखा (CEA) कैडर

समाचार में क्यों? भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक (CAG) ने भारतीय लेखा एवं लेखा विभाग (IA&AD) में दो नए विशेषीकृत कैडर (cadres) के गठन को **सैद्धांतिक मंजूरी** दी है। यह सुधार पहल केन्द्रिकरण (centralisation) को बढ़ावा देने और लेखा परीक्षण (audit) की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से की जा रही है।

केंद्रीय राजस्व लेखा (CRA) कैडर:

- केंद्रीय राजस्व लेखा (CRA) कैडर विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के राजस्व (revenue) का ऑडिट करेगा।
- इसका उद्देश्य राजस्व लेखा परीक्षण में गहन विशेषज्ञता (domain expertise) विकसित करना है।
- लेखा परीक्षण कार्यों का केन्द्रिकरण लेखा परीक्षण की संगति, दक्षता और गुणवत्ता को बढ़ाएगा।

केंद्रीय व्यय लेखा (CEA) कैडर:

- केंद्रीय व्यय लेखा (CEA) कैडर केंद्रीय सरकार के व्ययों (expenditure) के लेखा परीक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा।
- यह कैडर व्यय-संबंधित प्रक्रियाओं और वित्तीय प्रबंधन में व्यावसायिक दक्षता विकसित करेगा।
- इससे व्यय लेखा परीक्षण की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार होगा।

उद्देश्य एवं कार्यान्वयन:

महालेखाकार (CAG) के प्रेस वक्तव्य के अनुसार:

- "यह सुधार 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य गहन व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित करना तथा केंद्रीय सरकारी वित्त के लेखा परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है।"
- वर्तमान में, केंद्रीय राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण विभिन्न राज्य सिविल ऑडिट कार्यालयों में बंटा हुआ है, जिससे विखंडन और अक्षमता की स्थिति पैदा होती है।

सुधार के प्रमुख लाभ:

- लेखा परीक्षण कार्यों का केन्द्रिकरण और बेहतर समन्वय।
- विशेषज्ञता के माध्यम से व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि।
- जनशक्ति प्रबंधन में सुधार और लचीलापन।
- 4,000 लेखा पेशेवरों (कुल 42,000 में से) को इन दोनों नए कैडरों में समेकित किया जाएगा।

महालेखाकार एवं नियंत्रक (CAG) के बारे में:

पद का महत्व:

- अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है।
- यह भारतीय लेखा एवं लेखा विभाग का प्रमुख तथा जन धन का संरक्षक (guardian of the public purse) है।
- यह कार्यपालिका को वित्तीय मामलों में विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाता है।
- यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तंभ है, जो संविधान और संसदीय कानूनों की रक्षा करता है।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

अनुच्छेद / अधिनियम	विवरण
अनुच्छेद 148	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित; व्यय भारत की समेकित निधि (CFI) पर भारित; पुनर्नियुक्ति नहीं।
अनुच्छेद 149	संसद द्वारा कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण।
अनुच्छेद 150	संघ और राज्यों के लेखे राष्ट्रपति द्वारा CAG की सलाह पर निर्धारित रूप में रखे जाएंगे।
अनुच्छेद 151	CAG की रिपोर्टें राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती हैं और संसद/विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।
अनुच्छेद 279	करों के शुद्ध आय (net proceeds) का प्रमाणीकरण करता है, जो अंतिम होता है।
CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971	कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो; पद से हटाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से; वेतन व शर्तों में हानि नहीं की जा सकती।
CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ	• भारत और राज्यों की समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण। • राजस्व और प्राप्तियों का लेखा परीक्षण ताकि सही संग्रह और वितरण सुनिश्चित हो सके। • सरकारी विभागों के व्यापार, निर्माण, लाभ-हानि खातों का ऑडिट। • ऋण, कोष, जमा, अग्रिम, स्थानांतरण खातों आदि का लेखा परीक्षण। • स्थानीय निकायों और अन्य प्राधिकरणों के खातों का ऑडिट (राष्ट्रपति/राज्यपाल के अनुरोध पर)। • राष्ट्रपति को सलाह देना कि खातों का स्वरूप किस प्रकार रखा जाए। • ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना—केंद्र के लिए राष्ट्रपति को और राज्यों के लिए राज्यपाल को, ताकि संसद/विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

पुनत्सांगछू-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट: भारत-भूटान

समाचार में क्यों? प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2025 में भूटान की अपनी चौथी यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा पूर्व राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह के साथ मेल खाती है और इसमें **पुनत्सांगछू-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (1,020 मेगावाट)** का उद्घाटन शामिल है।

भारत-भूटान सहयोग की मुख्य विशेषताएँ:

ऊर्जा सहयोग:

- पुनत्सांगछू-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन।
- परियोजना भारतीय अनुदान और ऋण के मिश्रण से वित्त पोषित।
- हाइड्रोपावर भारत-भूटान द्विपक्षीय सहयोग का प्रमुख स्तंभ।

कनेक्टिविटी पहल:

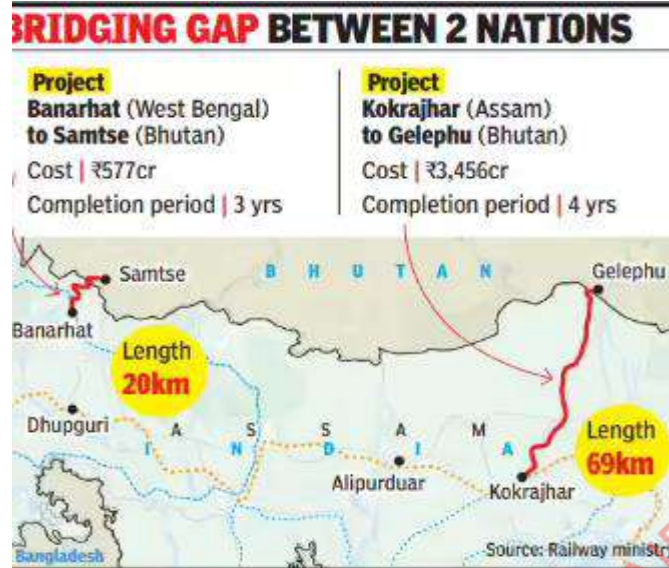
- **कोक्राझर-गेलीफू रेलवे लिंक:**
 - असम को दक्षिणी भूटान से जोड़ता है।
 - विशेषताएँ: 6 स्टेशन, 2 महत्वपूर्ण पुल, 29 मुख्य पुल, 65 छोटे पुल, 1 फ्लाईओवर, 39 अंडरपास।
 - निर्माण अवधि: 4 साल।
- **बनारहट-साम्त्से रेलवे लाइन:**
 - दक्षिण-पश्चिम भूटान को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है।
 - विशेषताएँ: 2 स्टेशन, 1 मुख्य पुल, 24 छोटे पुल, 1 ओवरपास, 37 अंडरपास।
 - निर्माण अवधि: 3 साल।
- **रणनीतिक महत्व:** व्यापार (डोलोमाइट, फेरो-सिलिकॉन, कार्बोनाइट, स्टोन चिप्स) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा।

आर्थिक और विकास सहायता:

- भारत भूटान का सबसे बड़ा विकास सहयोगी।
- भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के तहत भारत ने **₹10,000 करोड़** का कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्रोग्राम ग्रांट के लिए वचनबद्ध किया।
- गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जैसे रणनीतिक परियोजनाओं का समर्थन।

उच्च स्तरीय दौरे और विनिमय:

- नियमित दौरे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हैं।
- भूटानी पीएम ल्थोरिंग तोबगय ने 2025 में भारत का दो बार दौरा किया (इंडिया एनर्जी वीक और बौद्ध दर्शन सम्मेलन, बोधगया)।
- पीएम मोदी की मार्च 2024 की यात्रा में रेलवे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर MoUs पर हस्ताक्षर।



ऐतिहासिक विकास:

प्रारंभिक संबंध:

- भूटान और ब्रिटिश भारत के बीच 19वीं सदी से संबंध।
- 1910 की पुनकहा संधि: ब्रिटिश भारत को भूटान के विदेशी मामलों में मार्गदर्शन का अधिकार।
- 1949 की मित्रता संधि: स्वतंत्र भारत और भूटान ने आधिकारिक संबंध स्थापित किए।

स्वतंत्रता के बाद और विकास सहयोग:

- भारत ने भूटान के पहले पंचवर्षीय योजना (1961) से विकास में समर्थन दिया।
- प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं, सड़क, स्कूल और अस्पतालों के लिए वित्तीय सहायता।
- समय के साथ हाइड्रोपावर, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और कनेक्टिविटी में सहयोग का विस्तार।

रणनीतिक महत्व:

- भारत और चीन के बीच भूटान का भौगोलिक महत्व।
- भारत सुरक्षा और रक्षा सहयोग प्रदान करता है, जिसमें भूटानी बलों का प्रशिक्षण और सीमा प्रबंधन शामिल है।

हालिया विकास (2024-2025):

आर्थिक और विकास सहयोग:

- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (कुल व्यापार का 70% से अधिक)।
- 2024-25 में भारत ने भूटान को अवसंरचना और सामाजिक परियोजनाओं के लिए सस्ती ऋण और विकास सहायता प्रदान की।
- कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार।

हाइड्रोपावर और ऊर्जा साझेदारी:

- हाइड्रोपावर द्विपक्षीय संबंधों का आधार।
- प्रमुख परियोजनाएँ: चुखा, ताला, कुरिचू, मांग्देछू, पुनत्सांगछू।

- 2024-25 में नई परियोजनाओं और सौर/हरित ऊर्जा सहयोग की बातचीत।

कनेक्टिविटी और अवसंरचना:

- पहला भारत-भूटान रेलवे लिंक व्यापार और पर्यटन सुधार के लिए।
- असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी भूटान के बीच सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का सुदृढीकरण।

नए सहयोग क्षेत्र:

- **अंतरिक्ष सहयोग:** 2024 में संयुक्त योजना और उपग्रह डेटा साझा करने पर समझौता।
- **पर्यावरण और जलवायु:** 2024 में संयुक्त कार्य समूह, जैव विविधता और जलवायु चुनौतियों के समाधान के लिए।
- **कृषि:** 2025 में उर्वरक और बीज आदान-प्रदान के लिए 5 साल का सहयोग समझौता।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत रीज़स मैककाक की सुरक्षा

समाचार में क्यों? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति (SC-NBWL), जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करते हैं, ने हाल ही में रीज़स मैककाक (Rhesus Macaque) को **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II** में पुनः शामिल करने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य **कानूनी सुरक्षा बहाल करना**, अवैध पकड़, क्रूरता पर रोक लगाना और वैज्ञानिक प्रबंधन को नियमित करना है।

मुख्य बिंदु

1. पुनः सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव:

- रीज़स मैककाक को अनुसूची II में पुनः सूचीबद्ध करने का सुझाव।
- यह क्षेत्रीय संघर्ष क्षेत्रों में फील्ड स्टडी और विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर किया जाएगा।

2. प्रबंधन निर्देश:

- मुख्य वन्यजीव संरक्षकों (CWW) को **स्थल-विशिष्ट संरक्षण/प्रबंधन योजनाएँ** बनानी होंगी।
- **रिस्क्यू और पुनर्वास केंद्र** विकसित करने होंगे।

3. सिफारिशें प्रेषित:

- सुझाव केंद्रीय जू प्राधिकरण (CZA) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को भेजे गए।

4. राज्यों की भूमिका:

- विस्तृत **संघर्ष निवारण योजनाएँ** तैयार करना।
- संघर्ष क्षेत्रों की पहचान और वर्गीकरण।
- वन्य जीव संस्थान (WII) के अध्ययन पर आधारित "बेस हाइपोथेसिस" विकसित करना।

5. चिंता का आधार:

- पूर्व मानव-मैककाक संघर्षों के कारण पुनः संरक्षण पर संदेह।
- मंत्रालय ने ड्राफ्ट एडवाइजरी के माध्यम से तर्कसंगत इनपुट मांगे।

6. राज्यों की स्थिति:

- **समर्थन:** मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश (क्रूरता रोकथाम और पारिस्थितिक कारणों से)।
- **विरोध:** असम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश (संघर्ष बढ़ने का डर; प्रबंधन पर जोर)।

रीज़स मैककाक (*Macaca mulatta*) के बारे में

वर्गीकरण और टैक्सोनामी:

- वैज्ञानिक नाम: *Macaca mulatta*
- परिवार: Cercopithecidae (Old World monkeys)
- क्रम: Primates
- IUCN स्थिति: Least Concern

वितरण:

- भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
- भारत में उत्तर, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला।
- विभिन्न आवासों के अनुकूल — जंगल, शहरी क्षेत्र, मंदिर और मानव बस्तियाँ।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के बारे में

स्थापना:

- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत।
- भारत में वन्यजीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय।
- अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री

सदस्य संरचना:

- उपाध्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
- सदस्य:
 - 15 गैर-सरकारी सदस्य (प्रसिद्ध संरक्षणवादी, पारिस्थितिकीविद्, पर्यावरणविद्)
 - 10 सरकारी अधिकारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से
- सदस्य सचिव: वन महानिदेशक या MoEFCC का वरिष्ठ अधिकारी

मुख्य कार्य:

- केंद्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना:
 - वन्य जीव नीति का निर्माण
 - संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण और सुरक्षा
 - राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन
 - ऐसे परियोजनाओं और गतिविधियों को नियंत्रित करना जो वन्य जीव आवास को प्रभावित कर सकते हैं
 - विकास के उद्देश्य से वन/वन्य जीव भूमि के अपवर्जन के प्रस्तावों को मंजूरी देना

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP)

समाचार में क्यों? विश्व बैंक ने अपने नवीनतम FSAP रिपोर्ट में कहा है कि भारत का 2047 तक \$30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए **वित्तीय क्षेत्र सुधारों को और गति देने** की आवश्यकता है, ताकि निजी पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके।

FSAP के बारे में:

- FSAP, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की संयुक्त पहल है।
- यह किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का समग्र मूल्यांकन करता है।
- उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता, वित्तीय संस्थाओं और बाजारों के विकास और प्रदर्शन का आकलन करना।
- प्रथम परिचय: 1999
- भारत की भागीदारी: 2001, 2006, 2010, 2017 और 2023/24

FSAP के उद्देश्य:

1. वित्तीय स्थिरता का आकलन – बैंकों, पूंजी बाजार, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कमजोरियों की पहचान।
2. नियामक एवं पर्यवेक्षण ढांचे का मूल्यांकन – यह देखना कि कानून और संस्थाएँ वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।
3. सुधारों को प्रोत्साहित करना – वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीति सुझाव।
4. वित्तीय समावेशन और विकास का आकलन – यह देखना कि वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास का कितना समर्थन करती है।
5. अंतरराष्ट्रीय मानकों से तुलना – घरेलू मानकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना।

FSAP के घटक:

1. वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन:

- बैंक, NBFCs, बीमा कंपनियों का स्ट्रेस टेस्ट।
- प्रणालीगत जोखिमों का विश्लेषण।

2. वित्तीय क्षेत्र विकास:

- वित्तीय बाजारों की गहराई और दक्षता।
- व्यवसायों और परिवारों के लिए ऋण और पूंजी की उपलब्धता।

3. वित्तीय समावेशन:

- क्षेत्रों और जनसंख्याओं में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच।
- डिजिटल वित्त और भुगतान प्रणाली का एकीकरण।

4. नियामक एवं पर्यवेक्षण ढांचा:

- समुचित नियमों की गुणवत्ता।

- केंद्रीय बैंक की निगरानी की प्रभावशीलता।

मुख्य एजेंसियाँ:

- IMF
- विश्व बैंक
- मूल्यांकन किए जा रहे देश के राष्ट्रीय नियामक (भारत में RBI, SEBI आदि)

भारत का वित्तीय क्षेत्र और FSAP की प्रमुख सिफारिशें:

2017 FSAP:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कमजोरियाँ और बैंक सुधारों की जरूरत।
- पूंजी बाजार के विकास और वित्तीय समावेशन में सुधार की आवश्यकता।

2023/24 FSAP:

- भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक **सुदृढ़ और विविध** हो गई है।
- वित्तीय समावेशन बेहतर हुआ; बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ी।
- **सिफारिशें:**
 1. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFC, बीमा, पेंशन) को मजबूत करना।
 2. दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए पूंजी बाजार को गहरा करना।
 3. जोखिम प्रबंधन ढाँचों में सुधार।
 4. अवसंरचना और नवाचार में निजी निवेश को सुगम बनाना।

भारत के लिए महत्व:

1. भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए **वैश्विक मानक** प्रदान करता है।
2. नीति निर्माताओं को **वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए सुधारों की प्राथमिकता** तय करने में मदद करता है।
3. दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों, जैसे कि 2047 तक \$30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में सहयोग।
4. **निजी पूंजी प्रवाह** को मार्गदर्शन देता है ताकि अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण संभव हो सके।

नकद हस्तांतरण: चुनौतियाँ

समाचार में क्यों? लेख में भारतीय राज्यों द्वारा हाल ही में घोषित **कैश ट्रांसफर योजनाओं** की बढ़ती प्रवृत्ति पर चर्चा की गई है, खासकर **चुनावी समय** में।

- ये योजनाएँ आमतौर पर **महिलाओं या कम आय वाले परिवारों** को लक्षित करती हैं।
- इसमें लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित की जाती है।
- बहस इस बात को लेकर है कि ये योजनाएँ गरीबी कम करने और तत्काल राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन **नौकरी सृजन या दीर्घकालिक आर्थिक विकास का विकल्प नहीं बन सकतीं**।

मुख्य मुद्दे:

लेखक ने तीन मुख्य मुद्दों को उजागर किया है:

आर्थिक और सामाजिक लाभ:

- क्या ये कैश ट्रांसफर योजनाएँ व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर वास्तविक आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करती हैं?

राजकोषीय प्रभाव:

- क्या ये योजनाएँ सरकारी बजट पर भारी बोझ डालती हैं या वित्तीय जिम्मेदारी के नियमों का उल्लंघन करती हैं?

राज्य की वैचारिक भूमिका:

- सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए — केवल कल्याण योजनाएँ प्रदान करना या नौकरी और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना?

महत्त्व:

- ये योजनाएँ भारत में लगभग 100 मिलियन महिलाओं और परिवारों को कवर करती हैं, और राज्यों द्वारा इन पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.5% खर्च किया जाता है।
- ये योजनाएँ गरीबी घटाने, पोषण सुधारने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर सकती हैं।
- हालांकि, इन पर अत्यधिक निर्भरता सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे उत्पादक निवेशों से धन को divert कर सकती है।
- ये योजनाएँ अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन नौकरी और आय के विकास के बिना सतत नहीं हैं।

पहचाने गए चुनौतियाँ:

राजकोषीय दबाव:

- राज्यों की उधारी क्षमता FRBM एक्ट के तहत सीमित है।
- सब्सिडी या ट्रांसफर पर अत्यधिक खर्च पूंजीगत व्यय (सड़कों, स्वास्थ्य, स्कूल) को प्रभावित कर सकता है।

निर्भरता का जोखिम:

- लगातार हैंडआउट देने से लाभार्थियों की निर्भरता बढ़ सकती है, बजाय इसके कि उन्हें कौशल विकास और रोजगार के जरिए सशक्त किया जाए।

राजनीतिक लोकप्रियता:

- ये योजनाएँ अक्सर चुनावों से पहले राजनीतिक कारणों से घोषित की जाती हैं, न कि दीर्घकालिक कल्याण रणनीति के हिस्से के रूप में।

क्रियान्वयन की समस्याएँ:

- सुनिश्चित करना कि धन सही लाभार्थियों तक पहुँचें और भ्रष्टाचार या लीकेज न हो, एक चुनौती है।

आगे का रास्ता:

- **कल्याण और विकास का संतुलन:** सरकारों को अल्पकालिक राहत देने और दीर्घकालिक रोजगार सृजन के बीच संतुलन रखना चाहिए।
- **उत्पादकता से जोड़ें:** केश ट्रांसफर को कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- **राजकोषीय अनुशासन:** राज्य को वित्तीय विवेक बनाए रखना चाहिए और भविष्य के विकास को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **लक्षित दृष्टिकोण:** कल्याण योजनाओं को सबसे गरीब और कमजोर वर्गों पर केंद्रित किया जाना चाहिए, न कि सभी पर समान रूप से।
- **संस्थागत क्षमता मजबूत करें:** कल्याण निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पारदर्शिता और निगरानी बढ़ानी चाहिए।

निष्कर्ष:

- केश ट्रांसफर योजनाएँ तत्काल राहत प्रदान करने और गरीबी एवं असमानता कम करने के लिए मूल्यवान हैं, विशेषकर महिलाओं में।
- हालांकि, ये नौकरी, निवेश या संरचनात्मक सुधारों का विकल्प नहीं बन सकतीं।
- दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक उत्पादकता को जोड़ा जाना आवश्यक है।
-

COP 30 – प्रगति, समस्याएँ और आगे का रास्ता

समाचार में क्यों? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ (COP30) वर्ष 2025 में बेलें (ब्राज़ील) में आयोजित की जा रही है। यह वही देश है जिसने 1992 के ऐतिहासिक “रियो अर्थ समिट” की मेज़बानी की थी।

तीन दशकों की जलवायु वार्ताओं के बावजूद, वैश्विक तापमान और पर्यावरणीय सूचकांक लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिससे COP प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

पृष्ठभूमि:

- **1992 रियो अर्थ समिट:**
 - इसमें UNFCCC, एजेंडा 21, और रियो घोषणा अपनाई गई।
 - उद्देश्य: “वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जलवायु प्रणाली की रक्षा करना।”
- अब तक 29 COP सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं।
 - **COP3 (क्योटो, 1997):** विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के बाध्यकारी लक्ष्य।
 - **COP15 (कोपेनहेगन, 2009):** स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं का मार्ग प्रशस्त किया।

- **COP21 (पेरिस, 2015): ऐतिहासिक पेरिस समझौता** — वैश्विक तापमान वृद्धि को **2°C से नीचे**, आदर्श रूप में **1.5°C तक** सीमित रखने का लक्ष्य।

वर्तमान परिदृश्य (2025):

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** 1990 की तुलना में 65% अधिक।
- **वैश्विक तापमान:** औद्योगिक युग से पहले की तुलना में **1.4°C अधिक**, जो 1.5°C सीमा के बेहद करीब है।
- **CO₂ सांद्रता:** 2024 में अब तक की सबसे तेज़ दर से बढ़ी।
- **जलवायु आपदाएँ:** आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ीं; 2024 में **आर्थिक नुकसान \$1 ट्रिलियन** (ब्लूमबर्गINEF)।
- **वनों की कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र हानि:** अभी भी जारी, यद्यपि धीमी गति से।
- **आर्थिक डिकपलिंग:** प्रति GDP उत्सर्जन घट रहा है, लेकिन कुल उत्सर्जन में अभी भी वृद्धि।

COP प्रक्रिया की उपलब्धियाँ:

1. वैश्विक सहयोग का ढाँचा:

- अब **195 देश** जलवायु मुद्दों पर नियमित रूप से भाग लेते हैं।
- सामूहिक वार्ता और जवाबदेही के लिए मंच उपलब्ध कराता है।

2. पेरिस समझौता (2015):

- अनुमानित तापमान वृद्धि को लगभग **4°C से घटाकर 2.8°C (2100 तक)** किया।
- लगभग **77% वैश्विक GDP** वाले देशों ने **नेट जीरो प्रतिबद्धताएँ** अपनाईं।

3. नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि:

- **2024 में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा** (सौर, पवन आदि) से **कोयले से अधिक बिजली** उत्पन्न हुई।

4. जलवायु जागरूकता और नीति एकीकरण:

- जलवायु कार्रवाई अब **राष्ट्रीय विकास नीतियों** का हिस्सा बन गई है।
- कई देशों ने अपने लक्ष्यों को बढ़ाया (जैसे, ऑस्ट्रेलिया — 26% से बढ़ाकर 43% उत्सर्जन कटौती, 2030 तक)।

5. कमजोर देशों को आवाज़:

- **छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS)** अपने अस्तित्व के लिए COP मंच का उपयोग कर रहे हैं।

आलोचनाएँ और सीमाएँ:

क्रियान्वयन की कमी:

- ऊँचे वादे लेकिन कम परिणाम।
- वैज्ञानिक जोहान रॉकस्ट्रॉम के अनुसार: “सुंदर घोषणाएँ, जिन पर कोई अमल नहीं करता।”

धीमी और नौकरशाही प्रक्रिया:

- वार्ताएँ कानूनी व प्रक्रियात्मक जटिलताओं में उलझी रहती हैं।
- जीवाश्म ईंधन लॉबी की भागीदारी से प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं।

असमान प्रतिबद्धताएँ:

- विकसित देश जलवायु वित्त और तकनीकी हस्तांतरण में पिछड़ रहे हैं।

- विकासशील देश “साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी (CBDR)” के सिद्धांत पर न्याय की माँग कर रहे हैं।

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव:

- 1990 के दशक की तुलना में दुनिया अधिक विभाजित; 2024 में **184 संघर्ष** दर्ज किए गए।
- राष्ट्रीय हित, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर हावी हो रहे हैं।

COP सम्मेलनों का कार्बन फुटप्रिंट:

- लगभग **40,000 प्रतिभागियों** वाले विशाल आयोजन, स्वयं उत्सर्जन बढ़ाते हैं, जबकि ठोस परिणाम सीमित हैं।

कमियों के बावजूद महत्व:

- COP एकमात्र **बहुपक्षीय मंच** है जहाँ हर देश — गरीब या अमीर — समान अधिकार से भाग ले सकता है।
- यह **पारदर्शिता, सहकर्म दबाव (peer pressure)** और **नियमित प्रगति समीक्षा** को बढ़ावा देता है।
- **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)** और **लॉस एंड डैमेज फंड** जैसे वैश्विक वित्तीय तंत्रों को सक्षम बनाता है।

मुख्य चुनौतियाँ:

1. वादों के बावजूद बढ़ते उत्सर्जन।
2. **वित्तीय अंतराल:** \$100 बिलियन वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ।
3. **अनुकूलन बनाम शमन असंतुलन:** लचीलापन बढ़ाने पर कम ध्यान।
4. **जवाबदेही की कमी:** अधूरे वादों के लिए कोई दंड नहीं।
5. **विश्वास में कमी:** विकसित और विकासशील देशों के बीच भरोसे का संकट।

सुधार और आगे की राह:

जवाबदेही तंत्र:

- केवल वादों पर नहीं, बल्कि **प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन** और **अनुपालन न होने पर दंड** की व्यवस्था हो।

जलवायु वित्त को मजबूत करना:

- वादे किए गए फंड की समय पर आपूर्ति और विकासशील देशों के लिए **पहुंच को सरल बनाना**।

अनुकूलन और लचीलापन पर ध्यान:

- जलवायु शमन के साथ **अनुकूलन योजनाओं** को भी समान महत्व दिया जाए।

छोटे और केंद्रित COP:

- सम्मेलनों का आकार घटाकर उन्हें **कार्य-उन्मुख और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त** बनाया जाए।

तकनीक और क्षमता निर्माण:

- हरित तकनीक का **समान वितरण और साझा उपयोग** सुनिश्चित किया जाए।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी:

- निजी क्षेत्र को **हरित निवेश और जवाबदेही** के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष:

तीन दशकों के बाद भी COP प्रक्रिया ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाई, सहयोग को संस्थागत रूप दिया, और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन शुरू किया, परंतु शब्दों को कर्म में बदलने में विफल रही है।

वैश्विक तापमान वृद्धि, चरम मौसम घटनाएँ और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण यह दर्शाते हैं कि अब केवल क्रमिक सुधार पर्याप्त नहीं है। भविष्य की जलवायु कूटनीति का उद्देश्य नए वादे नहीं, बल्कि मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होना चाहिए अर्थात् महत्वाकांक्षा को जवाबदेही में बदलना।

रिसिन

समाचार में क्यों? गुजरात एंटी-टेररिज़्म स्कॉड (ATS) ने तीन ISIS आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक डॉक्टर कथित रूप से **रिसिन** (Ricin) तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जो एक अत्यंत जहरीला रसायन है।

रिसिन क्या है?

- रिसिन एक अत्यंत जहरीला प्रोटीन (टॉक्सिन) है, जो कास्टोर पौधे (*Ricinus communis*) के बीजों से प्राप्त होता है।
- यह सूक्ष्मजीव नहीं, बल्कि प्राकृतिक पौधों का प्रोटीन है।
- अगर यह शरीर में प्रवेश कर जाए (खाने, साँस या इंजेक्शन के जरिए), तो यह गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकता है।

महत्व और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

स्रोत की उपलब्धता:

- कास्टोर बीज और कास्टोर तेल का उत्पादन बहुत सामान्य है।
- तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ (प्रेस केक) भी रिकिन का स्रोत बन सकता है।
- कच्चा पदार्थ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

आतंकवाद और सार्वजनिक सुरक्षा:

- अत्यधिक जहरीला और आसानी से तैयार किया जा सकता है।
- इसका कोई सामान्य एंटीडोट उपलब्ध नहीं है।
- इसलिए कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीर खतरे के रूप में देखती हैं।

कानूनी स्थिति:

1. अधिकांश देशों में, अनुसंधान या चिकित्सा सेटिंग के बाहर रिकिन का निर्माण, उपयोग या कब्जा अवैध है।
2. उदाहरण: अमेरिका में इसे **Restricted Biological Agent** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रासायनिक और भौतिक गुण:

- रंग/रूप: धूसर, सफ़ेद या मटमैला पाउडर।

- **संरचना:** दो उप-इकाइयाँ –
 - **A चेन:** विषैले हिस्से की गतिविधि।
 - **B चेन:** कोशिकाओं में प्रवेश में मदद।
- **क्रिया:** कोशिका में प्रवेश के बाद A चेन **राइबोसोम को निष्क्रिय** कर देती है, प्रोटीन निर्माण रुकता है और कोशिका मर जाती है।

जहर का स्तर (Toxicity):

- अत्यंत जहरीला; बहुत कम मात्रा में भी घातक।
- सबसे खतरनाक रूप: **एयरोसोल (सूक्ष्म पाउडर)**, क्योंकि साँस के माध्यम से फैल सकता है।

रिसिन विष के लक्षण:

- लक्षण **संपर्क के तरीके** (साँस, खाना, इंजेक्शन), खुराक और समय पर निर्भर करते हैं।

चिकित्सा प्रबंधन:

- कोई नियमित एंटीडोट नहीं।
- **सहायक उपचार:**
 - साँस लेने में मदद,
 - IV तरल,
 - रक्तचाप नियंत्रित करना,
 - दौरा (seizure) नियंत्रित करना,
 - किडनी/लीवर समर्थन।
- **गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संपर्क:** प्रशिक्षित चिकित्सक सक्रिय चारकोल आदि दे सकते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया:** आपातकालीन और हज़ार्डस-मैटेरियल टीम द्वारा प्रबंधन।

प्रसिद्ध ऐतिहासिक और आपराधिक घटनाएँ:

1. **जॉर्जी मार्कोव (1978):** लंदन में बुल्गेरियाई असंतुष्ट की हत्या रिकिन से।
2. **ठंडे युद्ध की घटनाएँ:** कुछ हत्या प्रयासों में प्रयोग।
3. **अमेरिका में घरेलू और मेल धमकी घटनाएँ:** 1990 के दशक, 2004, 2006, 2008 में रिकिन पाए जाने पर गिरफ्तारी।
4. **संगठित षड्यंत्र और अभियोजन:** रिकिन रखने या हथियार बनाने के प्रयास पर कानूनी कार्रवाई।

उत्तर प्रदेश में जिला-स्तरीय उपभोग व्यय (2022-23)

समाचार में क्यों? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने पहली बार उत्तर प्रदेश के जिला-स्तर पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (Monthly Per Capita Consumption Expenditure - MPCE) के **आँकड़े जारी किए हैं।**

- इन आँकड़ों की आवश्यकता **स्थानीय योजना निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और साक्ष्य-आधारित शासन** के लिए महसूस की गई थी।

- उत्तर प्रदेश के \$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मिशन के तहत 14 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, MoSPI सचिव सौरभ गर्ग, नीति आयोग और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई।

राज्य बनाम राष्ट्रीय औसत (2022-23):

क्षेत्र उत्तर प्रदेश (रु.) भारत (रु.)

ग्रामीण 3,191 3,773

शहरी 5,040 6,459

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से कम उपभोग व्यय देखा गया।

जिलावार शीर्ष और निम्न उपभोग व्यय:

ग्रामीण उत्तर प्रदेश – सबसे कम MPCE:

1. सोनभद्र – ₹2,537 (सबसे कम; क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जिला)
2. चंदौली – ₹2,535
3. मिर्जापुर – ₹2,393

ग्रामीण उत्तर प्रदेश – सबसे अधिक MPCE:

- गौतम बुद्ध नगर – ₹2,575 (ग्रामीण यूपी में सर्वाधिक)

शहरी उत्तर प्रदेश – सबसे अधिक MPCE:

- गौतम बुद्ध नगर (नोएडा प्रभाव) – लगभग ₹10,000 (पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक)

शहरी उत्तर प्रदेश – सबसे कम MPCE:

1. बलिया – ₹2,575
2. अंबेडकर नगर – ₹2,649
3. गाज़ीपुर – ₹2,738

कार्यप्रणाली (Methodology):

- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर: बड़े नमूने (large sample) से प्रत्यक्ष अनुमान।
- जिला स्तर पर: छोटे नमूनों के कारण “Small Area Estimation (SAE)” मॉडल का उपयोग किया गया।
- यह मॉडल HCES सर्वेक्षण डेटा + जनगणना + अन्य स्रोतों को जोड़ता है।
- यूपी में केवल लगभग 3,000 परिवारों का सर्वे हुआ, इसलिए प्रत्येक जिले के लिए छोटा नमूना उपलब्ध था।
- इस मॉडल का विकास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (UC California) के प्रोफेसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता वाली समिति ने किया।

शासन और नीति निर्माण के लिए महत्व:

- लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ: अब जिला-स्तर पर गरीब व पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर योजनाएँ बनाई जा सकेंगी।
- जीवन स्तर की निगरानी: इससे क्षेत्रीय असमानताओं को समझने और घटाने में मदद मिलेगी।
- डेटा-आधारित शासन: नीति निर्माण साक्ष्य और आँकड़ों पर आधारित होगा।

- **मॉडल का विस्तार:** यह पद्धति आगे चलकर अन्य राज्यों और संकेतकों (जैसे गरीबी, रोजगार) पर भी लागू की जा सकती है।
- **\$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य:** यूपी के विकास मिशन के लिए यह आँकड़ा-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करेगा।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में **जिला-स्तर पर आर्थिक असमानताओं और उपभोग पैटर्न** को समझने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

यह न केवल **स्थानीय शासन को सशक्त** बनाएगा बल्कि **कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और लक्षित नीति निर्माण** में भी मदद करेगा।

COP30, बेलें (ब्राज़ील)

समाचार में क्यों? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की **30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टिज़ (COP30)** बेलें, ब्राज़ील में आयोजित की जा रही है।

- यह COP **पेरिस समझौते (2015) की 10वीं वर्षगांठ** का प्रतीक है।
- भारत ने **Like-Minded Developing Countries (LMDC)** समूह के हिस्से के रूप में अपनी उद्घाटन वक्तव्य में **समानता (equity) और अनुकूलन (adaptation)** पर जोर दिया।

भारत के वक्तव्य के मुख्य बिंदु:

1. अनुकूलन (Adaptation) पर जोर:

- भारत ने कहा कि **अनुकूलन यानी जलवायु प्रभावों से निपटना**, विकासशील देशों के लिए केंद्रीय मुद्दा होना चाहिए।
- सभी देशों से आग्रह किया कि वे **राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ (National Adaptation Plans – NAPs)** राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और प्रगति के अनुरूप प्रस्तुत करें।
- भारत ने अभी तक अपनी **NAP या 2035 के लिए अपडेटेड NDCs** प्रस्तुत नहीं की हैं।

2. पेरिस समझौते की संरचना की रक्षा:

- भारत ने किसी भी प्रयास का विरोध किया जो **पेरिस समझौते की मूल संरचना** बदलने का प्रयास करता हो, विशेषकर **CBDR-RC (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities)** सिद्धांत को।
- यह दोहराया कि सभी देशों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन **विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अधिक** है।

3. जलवायु वित्त (Climate Finance) का मुद्दा:

- विकासशील देशों ने **जलवायु वित्त में कमी** की आलोचना की।

- विकसित देशों ने केवल **2035 तक सालाना \$300 बिलियन** जुटाने का वादा किया, जबकि विकासशील देशों ने **\$1.35 ट्रिलियन** की मांग की थी।
- इसे पेरिस समझौते के पहले किए गए वादों का उल्लंघन माना गया।

भारत और LMDC का दृष्टिकोण:

- **LMDC समूह** (जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मिस्र, क्यूबा आदि) दुनिया की लगभग **आधी आबादी का प्रतिनिधित्व** करता है।
- समानता (equity), CBDR और जलवायु न्याय (climate justice) पर प्रतिबद्धता दोहराई।
- विकसित देशों से **नेट-जीरो जल्दी हासिल करने** और **negative-emission technologies** में अधिक निवेश करने का आह्वान किया।

BASIC समूह की स्थिति:

- **BASIC देशों (ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)** ने भारत के माध्यम से संयुक्त वक्तव्य दिया।
- जोर दिया कि विकसित देशों को कटौती और वित्त में नेतृत्व करना चाहिए।

COP30 में विकास (Developments):

- LMDC का प्रस्ताव कि **“विकसित देशों की जिम्मेदारी”** COP एजेंडा में शामिल हो, COP30 अध्यक्ष **André Corrêa do Lago** द्वारा **अलग वार्ता ट्रैक में स्थानांतरित** किया गया, ताकि सर्वसम्मति बनी रहे।

महत्व (Significance):

- भारत की **जलवायु कूटनीति में निरंतरता** को दर्शाता है — विकास, अनुकूलन और समानता को प्राथमिकता।
- जलवायु वित्त और जिम्मेदारियों पर **वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन** को उजागर करता है।
- भारत को **विकासशील देशों और जलवायु न्याय के लिए आवाज़** के रूप में स्थापित करता है।

Like-Minded Developing Countries (LMDC) के बारे में:

- LMDC एक **विकासशील देशों का गठबंधन** है, जो **अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं** में अपनी स्थिति को समन्वित करता है, विशेषकर UNFCCC के तहत।
- प्रमुख सदस्य: **चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, बोलिविया, वेनेजुएला, ईरान, पाकिस्तान** और अन्य।

रिफ्ट वैली फीवर (Rift Valley Fever – RVF)

समाचार में क्यों? पश्चिम अफ्रीकी देश **गाम्बिया** में Rift Valley Fever का **पहला मानव मामला** सामने आया है।

Rift Valley Fever के बारे में:

- यह **Phlebovirus** से होता है, जो **Phenuiviridae** परिवार का हिस्सा है।
- मुख्य रूप से **जानवरों** जैसे भेड़, बकरियाँ, मवेशी और ऊँट प्रभावित होते हैं।
- **इंसान संक्रमित जानवरों के करीब संपर्क या संक्रमित मच्छरों के काटने** से संक्रमित हो सकते हैं।

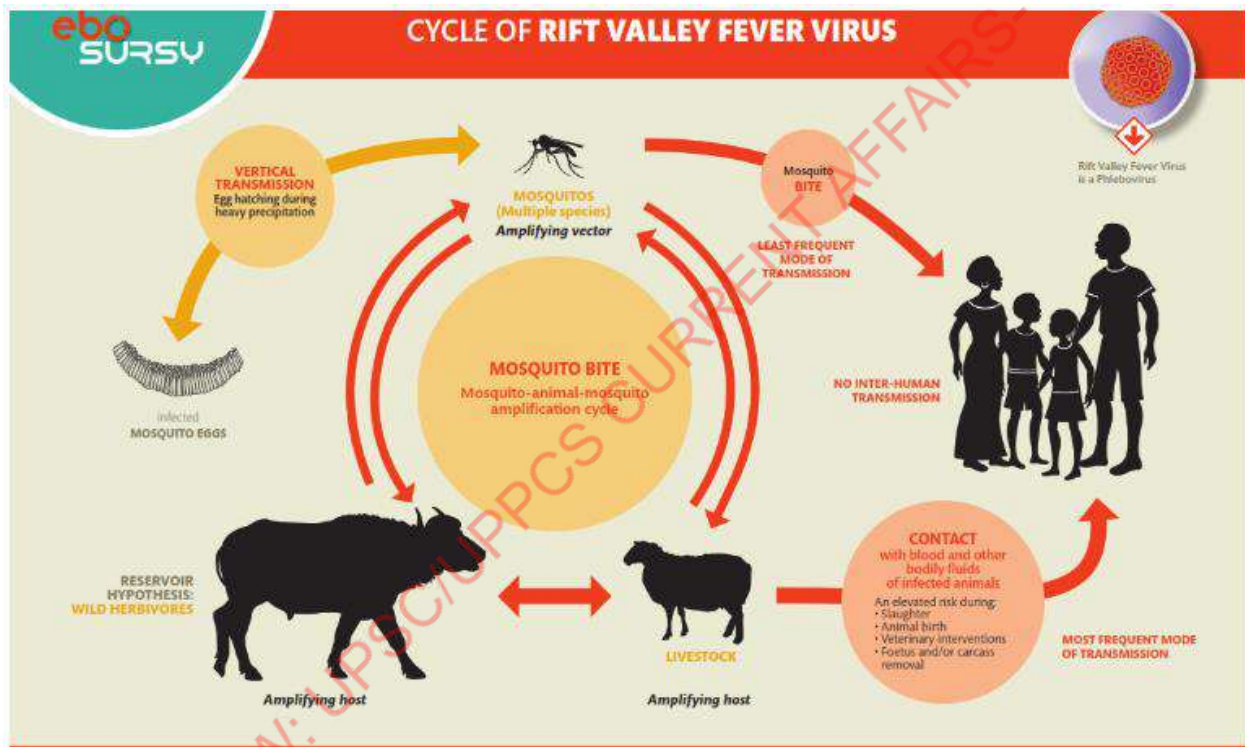
- यह वायरस मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता।

संक्रमण (Transmission):

- कई मच्छर प्रजातियाँ Rift Valley Fever वायरस फैलाती हैं।
- प्रमुख वेक्टर (vector) क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है।

उत्पत्ति और इतिहास (Origin and History):

- नाम: केन्या के Rift Valley से, जहाँ यह बीमारी 1930 के दशक की शुरुआत में पहचानी गई थी।
- इसके बाद संक्रमण सब-सहारा अफ्रीका में फैल गया।
- 1977 में यह मिस्र तक पहुँचा।
- 2000 तक यह रेड सी पार कर सऊदी अरब और यमन में पाया गया, और यह अफ्रीका के बाहर पहली पुष्टि हुई।



लक्षण (Symptoms):

- लगभग 90% मामलों में RVF हल्का, फ्लू जैसी बीमारी के रूप में प्रकट होता है।
- संक्रमण के 2-6 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं।
- आम लक्षण:
 - तेज़ बुखार
 - मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द
 - सिरदर्द, कमजोरी और पीठ दर्द
 - कभी-कभी उल्टी, मतली और प्रकाश संवेदनशीलता
- कुछ मरीजों में बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, जो आँख, मस्तिष्क या यकृत को प्रभावित करती है।

उपचार (Treatment):

- वर्तमान में कोई विशेष एंटीवायरल उपचार नहीं है।
- चिकित्सा देखभाल मुख्य रूप से सहायक (supportive) होती □□□

इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IEDs)

समाचार में क्यों? 10 नवंबर, 2025 को जम्मू और कश्मीर (J&K) पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश (UP) अधिकारियों के सहयोग से पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और ISIS-समर्थित Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGuH) से जुड़े एक अंतर-राज्यीय आतंक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया।

इस ऑपरेशन में **J&K, हरियाणा (फरीदाबाद), और उत्तर प्रदेश (लखनऊ और सहारनपुर)** शामिल थे। इस अभियान में **7-8 लोग गिरफ्तार हुए**, जिनमें **तीन डॉक्टर** भी शामिल थे। साथ ही लगभग **2,900 किग्रा IED बनाने का सामग्री** जब्त किया गया।

IEDs क्या हैं?

IEDs यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, **घरेलू तरीके से बनाए गए बम** होते हैं, जो कम संसाधनों से अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये **अराजक और आतंकवादी समूहों** द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।

मुख्य घटक:

विस्फोटक चार्ज (Explosive Charge):

- मुख्य सामग्री, जैसे **एमोनियम नाइट्रेट + फ्यूल ऑयल (ANFO)**।
- ~2,300 किग्रा विस्फोटक 1995 के **ओकलाहोमा सिटी बम धमाके** के बराबर शक्ति दे सकता है, जिसमें 168 लोग मरे थे।

डिटोनेटर/इनीशिएटर:

- टाइमर, रिमोट या वायर के जरिए विस्फोट।
- इस मामले में **20+ टाइमर/रिमोट** बरामद हुए।

पावर सोर्स:

- बैटरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए।

कंटेनर:

- धातु की शीट्स या वाहन, जिससे शार्पनेल फैल सके।

काम करने का तरीका:

- IED साइट पर असेंबल होते हैं।
- रिमोट या टाइमर से विस्फोट।
- ANFO आधारित IED **शॉकवेव, आग और शार्पनेल** पैदा करते हैं।

भारत में खतरा:

- शहरी क्षेत्रों में घनत्व के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान।
- यह मात्रा दिल्ली-एनसीआर में जनहानि का कारण बन सकती थी।

निवारक उपाय:

- खुफिया जानकारी, कुत्ते की यूनिट, जामर्स, और जनता की सतर्कता।
- भारत में **IB, RAW, और राज्य पुलिस** ने सर्विलांस और जांच के जरिए इसे फेल किया।

अन्य विस्फोटक (Explosives):

विस्फोटक	विशेषताएँ	उपयोग
TNT (Trinitrotoluene)	सैन्य ग्रेड, सामान्य परिस्थितियों में स्थिर	पारंपरिक बम, ध्वंस
RDX (Cyclotrimethylenetrinitramine)	बहुत शक्तिशाली	सैन्य IED, C-4 बनाने में
PETN (Pentaerythritol Tetranitrate)	बहुत संवेदनशील	डिटोनेटर, प्लास्टिक विस्फोटक में
Dynamite	नाइट्रोग्लिसरीन + इनर्ट मैटेरियल	खनन, कभी-कभी IED में
क्लोरेट और पेरॉक्साइड आधारित	TATP, HMTD जैसे	घरेलू संवेदनशील, अस्थिर
Ammonium Nitrate (AN)	ANFO का मुख्य घटक	बड़े विस्फोटक निर्माण के लिए, Oklahoma City जैसा नुकसान

प्लास्टिक विस्फोटकों के चिन्हांकन पर सम्मेलन (1991)

समाचार में क्यों? यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होने के कारण खबरों में था।

पृष्ठभूमि (Background)

- **ट्रिगर:** Lockerbie बम धमाका (Pan Am Flight 103, 1988)
 - इसमें **Semtex** प्लास्टिक विस्फोटक को लगेज में छुपाकर विमान उड़ान भरते समय नष्ट कर दिया गया।
- इस घटना ने दिखाया कि प्लास्टिक विस्फोटक **एयरपोर्ट स्कैनर या वाष्प डिटेक्टर से मुश्किल से पता लगते हैं।**
- इसके बाद **UN सुरक्षा परिषद (Resolution 635, 1989)** और **UN General Assembly (Resolution 44/29, 1989)** ने वैश्विक कार्रवाई की अपील की।
- **ICAO (International Civil Aviation Organization)** को अंतरराष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया।

स्वीकृति और लागू होना (Adoption & Entry into Force)

- **स्वीकृत:** 1 मार्च 1991, मॉन्ट्रियल (ICAO डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस)
- **लागू:** 21 जून 1998 (35 अनुमोदनों के बाद, जिसमें 5 निर्माता राज्य शामिल थे)
- **वर्तमान सदस्य (2025):** 160+ राज्य
- **भारत:** 6 अक्टूबर 1999 को इस सम्मेलन में शामिल हुआ

उद्देश्य (Objective):

- आतंकवाद, विशेषकर **वायु परिवहन से जुड़े हमलों** में अज्ञात प्लास्टिक विस्फोटकों के उपयोग को रोकना।
- सुनिश्चित करना कि **सभी प्लास्टिक विस्फोटक रासायनिक रूप से चिह्नित (tagged) हों**, ताकि सुरक्षा उपकरण उन्हें पहचान सकें।

मुख्य प्रावधान (Key Provisions):

चिन्हांकन की आवश्यकता (Marking Requirement):

- प्रत्येक राज्य सुनिश्चित करे कि प्लास्टिक विस्फोटक में **डिटेक्शन एजेंट (chemical taggant)** शामिल हो।
- यह डिटेक्शन एजेंट **ट्रेसिबल वाष्प उत्सर्जित करता है**, जिससे विस्फोटक सुरक्षा डिटेक्टरों द्वारा दिखाई देते हैं।

नियंत्रण उपाय (Control Measures):

- प्रत्येक सदस्य राज्य को **अचिन्हित प्लास्टिक विस्फोटक के निर्माण, स्वामित्व और स्थानांतरण पर नियंत्रण** रखना होगा।
- मौजूदा अचिन्हित स्टॉक्स को **निर्धारित समय सीमा में नष्ट या चिन्हित** करना होगा।

छूट (Exemptions):

- छोटे पैमाने पर अनुसंधान, प्रशिक्षण या सैन्य उपयोग के लिए कुछ स्टॉक्स को छूट दी जा सकती है, लेकिन **कठोर नियंत्रण के तहत**।

अंतरराष्ट्रीय विस्फोटक तकनीकी आयोग (International Explosives Technical Commission – IETC):

- ICAO काउंसिल द्वारा चुने गए 9 स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय।
- नए डिटेक्शन एजेंटों का मूल्यांकन और **तकनीकी संशोधनों की सिफारिश** करता है।

यूनेस्को का "मैन एंड द बायोस्फीयर" (MAB) कार्यक्रम

समाचार में क्यों? ओमान को यूनेस्को के "मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB)" कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद (International Coordinating Council) के लिए 2025–2029 की अवधि हेतु चुना गया है।

यह उपलब्धि ओमान की वैश्विक पर्यावरणीय शासन, सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो ओमान विज़न 2040 और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

वैश्विक स्थिरता में ओमान की भूमिका (Oman's Leadership in Global Sustainability):

- यह चुनाव उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में आयोजित यूनेस्को की 43वीं महासभा के दौरान हुआ, जहाँ ओमान का प्रतिनिधित्व उसकी पर्यावरण प्राधिकरण (Environment Authority) ने किया।

यूनेस्को के MAB कार्यक्रम की भूमिका (Role of UNESCO's MAB Programme):

- यूनेस्को का "मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB)" कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।
- यह कार्यक्रम संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार, जलवायु अनुकूलता (climate resilience) पर अनुसंधान, और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करता है।
- परिषद के सदस्य के रूप में, ओमान वैज्ञानिक ज्ञान को पर्यावरणीय कार्यों से जोड़ने वाली पहलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भूमिका निभाएगा, जिससे राष्ट्रों को मानव आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण में ओमान की उपलब्धियाँ (Oman's Track Record in Environmental Protection):

- ओमान ने वैश्विक संरक्षण प्रयासों में पहले से ही उल्लेखनीय योगदान दिया है।
- इसकी दो आरक्षित क्षेत्र —
 1. अल-सरीन नेचर रिज़र्व (Al-Sareen Nature Reserve)
 2. अल-जबल अल-अख़दर लैंडस्केप रिज़र्व (Al Jabal Al Akhdar Landscape Reserve)
 — यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिज़र्व नेटवर्क (World Network of Biosphere Reserves) का हिस्सा हैं।
- ये क्षेत्र मानव गतिविधियों और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन के आदर्श उदाहरण हैं और जैव विविधता संरक्षण एवं सतत भूमि उपयोग में ओमान की सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करते हैं।

यूनेस्को का "मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB)" कार्यक्रम के बारे में:

- मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम एक अंतरसरकारी वैज्ञानिक पहल है, जिसे यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- यह कार्यक्रम "बायोस्फीयर रिज़र्व" (Biosphere Reserves) की अवधारणा को बढ़ावा देता है — ऐसे विशेष क्षेत्र जो दिखाते हैं कि मानव और प्रकृति कैसे सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

MAB कार्यक्रम के उद्देश्य (Objectives of the MAB Programme):

1. **संरक्षण (Conservation):**
पारिस्थितिक तंत्र (ecosystems), प्रजातियों (species) और आनुवंशिक विविधता (genetic diversity) की रक्षा करना।
2. **विकास (Development):**
सतत आर्थिक और मानवीय विकास को प्रोत्साहित करना।

3. लॉजिस्टिक समर्थन (Logistic Support):

पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और सूचना आदान-प्रदान को समर्थन देना।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (Passport Seva Programme - PSP V2.0)

समाचार में क्यों? विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs - MEA) ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP V2.0) का उन्नत संस्करण, साथ ही ग्लोबल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (Global Passport Seva Programme) और ई-पासपोर्ट पहल (e-Passport Initiative) भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शुरू किया है।

PSP V2.0 की मुख्य विशेषताएँ:

- **उद्देश्य:**

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 का उद्देश्य पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को आधुनिक तकनीक, बेहतर दक्षता, और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवाओं के साथ सशक्त बनाना है।

- **नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप:**

नए पोर्टल और ऐप में उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सुविधाएँ दी गई हैं जैसे:

- स्वतः भरे जाने वाले फ़ॉर्म (Auto-filled forms)
- सरल दस्तावेज़ अपलोड प्रणाली
- उन्नत ट्रेकिंग सुविधाएँ

- **ई-पासपोर्ट (E-Passport):**

ई-पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप एम्बेड की गई है जिसमें धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा होता है।

इससे सुरक्षा बढ़ेगी और धोखाधड़ी (fraud) की संभावना कम होगी।

- **ग्लोबल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम:**

यह पहल भारतीय मिशन (Indian Missions) और दूतावासों (Posts) के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी समान सेवाएँ प्रदान करेगी।

- यह पहल विदेश मंत्रालय के डिजिटल रूपांतरण (Digital Transformation) और नागरिक सेवा वितरण (Citizen Service Delivery) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 1.0 (PSP 1.0) के बारे में:

- **शुरुआत:** 2010 में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** भारत में पासपोर्ट सेवाओं का आधुनिकीकरण करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत, जिससे पासपोर्ट कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता कम हुई।

- अपॉइंटमेंट-आधारित प्रणाली लागू की गई ताकि आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जा सके।
- पारदर्शिता, दक्षता और शीघ्र पासपोर्ट वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah)

समाचार में क्यों? भारत और बोत्सवाना ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान आठ अफ्रीकी चीतों के स्थानांतरण (translocation) की औपचारिक घोषणा की है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहाँ पकड़े गए आठ में से पाँच चीतों को मोकोलोदी नेचर रिज़र्व के क्वारंटीन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।

ट्रांसलोकेशन (Translocation) क्या है?

अफ्रीकी चीतों का **ट्रांसलोकेशन** एक **मानव-नियोजित प्रक्रिया** है जिसमें चीतों को एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है।

इसका उद्देश्य **संरक्षण, जनसंख्या प्रबंधन**, या उन क्षेत्रों में **चीतों को पुनः बसाना** है जहाँ वे विलुप्त हो गए हैं या उनकी संख्या बहुत कम हो गई है।

अध्ययन के अनुसार ट्रांसलोकेशन की चुनौतियाँ:

- परियोजना के पहले चरण में **40%-50% की उच्च मृत्यु दर** दर्ज की गई, जो अपेक्षित 85% जीवित रहने की दर से काफी कम है।
- चीतों पर **अत्यधिक तनाव** — 90 से अधिक बार रासायनिक बेहोशी (chemical immobilisations) और बार-बार पशु चिकित्सा हस्तक्षेप — उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है।
- दक्षिणी अफ्रीका से चीतों की **लगातार आपूर्ति पर निर्भरता** न तो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है और न ही नैतिक। अफ्रीकी चीता जनसंख्या पहले से ही दबाव में है, जिसमें केवल लगभग **6,500 वयस्क चीते** ही जंगली में शेष हैं।

प्रोजेक्ट चीता (भारत में चीता पुनःपरिचय परियोजना)

- **उद्देश्य:** 1952 में भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से जंगलों में बसाना।
- **संस्था:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (**NTCA**) द्वारा संचालित।
- **तकनीकी सहयोग:** वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (**WII**) द्वारा।

प्रमुख तथ्य:

- अब तक कुल **20 वयस्क अफ्रीकी चीते** भारत में लाए गए —
 - 8 नामीबिया से (सितंबर 2022)
 - 12 दक्षिण अफ्रीका से (फरवरी 2023)
 - इन्हें **मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (KNP)** में छोड़ा गया।
- **फरवरी 2025 तक:** कुल **26 चीते जीवित हैं** (12 वयस्क और 14 शावक), जबकि कई वयस्क चीतों की मृत्यु हो चुकी है।
 - मृत्यु के कारण: भूख से मरना, बैक्टीरियल संक्रमण (रक्त विषाक्तता / सेप्टीसीमिया), और रेडियो कॉलर से लगी चोटें।

- सरकार अब **गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)** में अफ्रीकी चीतों के एक नए बैच को स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।

चीतों का वितरण (Distribution of Cheetahs):

- ऐतिहासिक रूप से, **एशियाई चीते** भारत में पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात और राजस्थान से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे।
- **1952 में**, भारत में चीता को **आधिकारिक रूप से विलुप्त** घोषित किया गया।
- आज, विश्व में **चार उपप्रजातियाँ (subspecies)** पाई जाती हैं — जो **अफ्रीका और मध्य ईरान** में पाई जाती हैं (ईरान, सहारा रेगिस्तान, तंज़ानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका आदि)।

खतरे और संरक्षण स्थिति (Threats and Conservation Status):

मुख्य खतरे:

- आवास का विनाश (Habitat loss)
- मनुष्यों के साथ संघर्ष
- अवैध शिकार (Poaching)
- बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता

संरक्षण स्थिति:

- **IUCN स्थिति:** Vulnerable (संकटग्रस्त)
- **CITES:** परिशिष्ट-I (Appendix I)
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-II (Schedule II)

चीता कंज़र्वेशन फंड (Cheetah Conservation Fund – CCF):

- स्थापना: **1990 में नामीबिया में**
- एक **अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन**, जिसका उद्देश्य चीतों और उनके पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है।

आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक-4 (IUCN World Heritage Outlook 4)

समाचार में क्यों? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की नवीनतम रिपोर्ट '**वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4**' में भारत के **पश्चिमी घाट (Western Ghats)** और दो राष्ट्रीय उद्यान — **असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान** तथा **पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान** — को "**Significant Concern**" (**गंभीर चिंता**) की श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट एशिया के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति का आकलन करती है।

आईयूसीएन ने ऐसा क्यों कहा?

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में आवास (habitats) और प्रजातियों की हानि के पीछे **चार प्रमुख खतरे** हैं:

1. **जलवायु परिवर्तन (Climate Change)**
2. **पर्यटन गतिविधियाँ (Tourism Activities)**

3. आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species)
4. सड़कें और आधारभूत ढाँचा (Roads & Infrastructure)

संरक्षण स्थिति की चार श्रेणियाँ:

1. **Good** (अच्छी स्थिति)
2. **Good with some concerns** (कुछ चिंताओं के साथ अच्छी)
3. **Significant concern** (गंभीर चिंता)
4. **Critical** (अत्यंत संकटपूर्ण)

रिपोर्ट का निष्कर्ष चिंताजनक है:

“पहली बार, सकारात्मक संरक्षण दृष्टिकोण वाले स्थलों का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से घटा है।”

क्या हमारे पास ‘अच्छे’ संरक्षित क्षेत्र हैं?

दक्षिण एशिया में संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) तेजी से अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं।

2014 से अब तक (कुल 228 स्थलों का मूल्यांकन):

- 2014, 2017 और 2020 में — **63% स्थलों** की स्थिति *सकारात्मक* थी
- लेकिन **2025 में यह घटकर 57%** रह गई

नए उभरते खतरे:

- सड़कें और रेलमार्ग अब एशिया के विश्व धरोहर स्थलों के लिए **पाँच सबसे बड़े खतरों** में शामिल हैं — जबकि 2020 में ऐसा नहीं था।

अन्य खतरे:

- वनाग्नि (Forest Fires)
- शिकार और सड़क दुर्घटनाओं में जानवरों की मौत (Hunting & Roadkill)
- कचरा प्रबंधन की कमी (Waste Disposal)
- अतिक्रमण (Encroachment)
- अवैध कटाई (Illegal Logging)

भारत के वे स्थल जिन्हें “Good with Some Concerns” रेटिंग मिली:

1. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंज़र्वेशन एरिया (हिमाचल प्रदेश)
2. काज़ीरंगा नेशनल पार्क (असम)
3. केवोलादेव नेशनल पार्क (राजस्थान)
4. नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड)

जबकि:

- सिक्किम का **खंगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान** को "Good" श्रेणी में रखा गया है।

रिपोर्ट कहती है:

"इस स्थल की विशेषताएँ वर्तमान में अच्छी स्थिति में हैं और यदि मौजूदा संरक्षण उपाय जारी रहे, तो भविष्य में भी बनी रहेंगी।"

पश्चिमी घाट क्यों संवेदनशील हैं?

पश्चिमी घाट — जो हिमालय से भी प्राचीन हैं — **वनों और घासभूमियों का मिश्रण** हैं और असाधारण **जैव विविधता व स्थानिकता (endemism)** के लिए प्रसिद्ध हैं।

यहाँ **325 वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ** (IUCN रेड लिस्ट अनुसार) पाई जाती हैं, जिनमें केवल यहीं मिलने वाली

नीलगिरि ताहर (Nilgiri Tahr) जैसी दुर्लभ प्रजाति शामिल है।

पश्चिमी घाट को प्रभावित करने वाले प्रमुख खतरे:

खतरा	उदाहरण / प्रभाव
हाइड्रोपावर परियोजनाएँ	₹5,843 करोड़ की सिल्लहल्ला पंप्ड स्टोरेज परियोजना (1,000 MW) — सिल्लहल्ला और कुंदा नदियों पर बांध निर्माण से पारिस्थितिकीय नुकसान
पर्यटन	हाथियों द्वारा प्लास्टिक कचरे का सेवन; मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि
बागान (Plantations)	प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को व्यावसायिक फसलों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है
जलवायु परिवर्तन	नीलगिरि फ्लायकैचर और ब्लैक-एंड-ऑरेंज फ्लायकैचर जैसी प्रजातियाँ तापमान वृद्धि के कारण ऊँचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट हो रही हैं
आक्रामक प्रजातियाँ	उपनिवेश काल में लाए गए यूकेलिप्टस और एकेशिया प्राकृतिक वनों में फैलकर स्थानीय वनस्पतियों को विस्थापित कर रहे हैं

निष्कर्ष:

IUCN World Heritage Outlook 4 रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि एशिया, विशेषकर दक्षिण एशिया के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल गंभीर पर्यावरणीय दबावों का सामना कर रहे हैं।

भारत के लिए यह चेतावनी है कि यदि संरक्षण उपायों को सुदृढ़ नहीं किया गया, तो पश्चिमी घाट जैसे अमूल्य पारिस्थितिक तंत्रों का संतुलन स्थायी रूप से बिगड़ सकता है।

आसियान शिखर सम्मेलन 2025

समाचार में क्यों? 47वां आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन हाल ही में **26 से 28 अक्टूबर 2025** तक **कुआलालंपुर (मलेशिया)** में आयोजित हुआ। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) का वार्षिक शीर्ष नेतृत्व सम्मेलन है। यह सम्मेलन एशिया क्षेत्र में **आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण** को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। मलेशिया की

अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अमेरिका, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस और न्यूज़ीलैंड के नेताओं ने भाग लिया।

थीम : “Inclusivity and Sustainability” (समावेशन और सततता)

इस वर्ष की थीम “Inclusivity and Sustainability” ने एक समान और टिकाऊ क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर बल दिया, जो किसी को पीछे न छोड़े। यह थीम जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन और विकास की खाई को पाटने जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही।

आसियान का इतिहास

- **स्थापना:** 8 अगस्त 1967, बैंकॉक (थाईलैंड) में **ASEAN घोषणा (बैंकॉक घोषणा)** द्वारा।
- **संस्थापक सदस्य:** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
- **मुख्य उद्देश्य:** सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देना।

प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन (1976, बाली)

- *ट्रीटी ऑफ़ एमिटी एंड कोऑपरेशन (TAC)* को अपनाया गया, जिसने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और “**ASEAN Way**” (सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया) की नींव रखी।
- *Declaration of ASEAN Concord* में आर्थिक सहयोग और **आसियान सचिवालय (जकार्ता)** की स्थापना का निर्णय लिया गया।

विस्तार:

- 1984: ब्रुनेई शामिल हुआ (कुल 6 सदस्य)।
- 1995–1999: वियतनाम (1995), लाओस और म्यांमार (1997), और कंबोडिया (1999) — कुल 10 सदस्य।

मुख्य पड़ाव:

- **2015:** *ASEAN Community* का शुभारंभ — तीन स्तंभों पर आधारित:
 1. **राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय (APSC)**
 2. **आर्थिक समुदाय (AEC)**
 3. **सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय (ASCC)**
- *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* विज़न ने 2015 के बाद की दिशा तय की।
- बाद में शिखर सम्मेलन साल में दो बार आयोजित होने लगे और *East Asia Summit (EAS)* व *ASEAN+* संवादों को शामिल किया गया।

2025 में यह सम्मेलन ASEAN Community की 10वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, और ASEAN Community Vision 2045 को अपनाने की दिशा तय की गई।

आसियान सदस्य देश:

अब आसियान में **11 देश** शामिल हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग **678 मिलियन** (67.8 करोड़) और संयुक्त GDP **\$3.9 ट्रिलियन** है।

26 अक्टूबर 2025 को तिमोर-लेस्ते (East Timor) को आधिकारिक रूप से 11वां सदस्य बनाया गया — 26 वर्षों बाद

पहली बार विस्तार।

2002 में स्वतंत्र हुआ तिमोर-लेस्ते लगभग **1.4 मिलियन जनसंख्या** और **\$2 बिलियन अर्थव्यवस्था** वाला देश है।

47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की प्रमुख बातें:

तिमोर-लेस्ते का प्रवेश:

- 26 अक्टूबर को हस्ताक्षरित घोषणा के साथ तिमोर-लेस्ते को सदस्य बनाया गया, जो समावेशिता का प्रतीक है और उसके आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाएगा।

आर्थिक उपलब्धियाँ:

- **ASEAN डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट** में प्रगति, जिससे डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- **जियोइकोनॉमिक टास्क फोर्स** की स्थापना — आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती हेतु।
- **ASEAN इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी** — क्षेत्रीय विनिर्माण को समन्वित कर बाहरी निर्भरता घटाने के लिए।
- **मलेशिया** ने 15 आर्थिक प्राथमिकताएँ घोषित कीं, जिनमें अद्यतन व्यापार समझौते भी शामिल हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा और संघर्ष समाधान:

- **थाईलैंड और कंबोडिया** के बीच सीमा विवाद पर युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे **अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प** और **मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम** ने देखा।
- **म्यांमार के गृहयुद्ध और दक्षिण चीन सागर** विवादों पर संवाद और "गैर-हस्तक्षेप" नीति पर बल दिया गया।

भू-राजनीतिक पहलें:

- अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर वार्ता; ट्रम्प ने चार आसियान देशों के साथ नए व्यापार समझौते की घोषणा की।
- **ASEAN-GCC-China त्रिपक्षीय संवाद** के विस्तार पर चर्चा, जिससे अमेरिका से परे साझेदारी बढ़ सके।

सततता और विकास पर ध्यान:

- जलवायु कार्रवाई, लैंगिक समानता और सतत विकास के प्रति नई प्रतिबद्धताएँ।
- **ASEAN Vision 2045** के तहत डिजिटलाइजेशन, हरित निवेश और क्षेत्रीय असमानता कम करने पर बल।
- पर्यावरणीय स्थिरता पर घोषणाओं को अनुमोदित किया गया, साथ ही युवाओं और व्यापार समुदाय से परामर्श आयोजित हुए।

भारत की भागीदारी के कारण:

आर्थिक एकीकरण:

- आसियान भारत का **चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है; 2024 में द्विपक्षीय व्यापार **\$130 बिलियन** से अधिक रहा।
- यह साझेदारी **ASEAN-India FTA (2010)** और **सेवाएँ/निवेश समझौते (2015)** के साथ-साथ **ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership (2022)** को मजबूत करती है।

- 2025 में दोनों पक्षों ने “सस्टेनेबल टूरिज्म पर संयुक्त वक्तव्य” अपनाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा — “हम केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी हैं।”
यह वक्तव्य **ASEAN Vision 2045** और **भारत के विक्सित भारत 2047 लक्ष्य** के अनुरूप है।

भू-राजनीतिक और सुरक्षा संतुलन:

- भारत **East Asia Summit (EAS)** जैसे मंचों के माध्यम से नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक व्यवस्था और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है।
- यह दक्षिण चीन सागर विवाद, म्यांमार संकट जैसे मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देता है और चीन के प्रभाव को संतुलित करता है।

सांस्कृतिक एवं विकासात्मक संबंध:

- **बौद्ध धर्म**, प्राचीन व्यापार मार्गों जैसी साझा सांस्कृतिक विरासत भारत और आसियान को जोड़ती है।
- **ASEAN-India Innovation Platform** जैसे कार्यक्रम जन-जन के बीच संपर्क बढ़ाते हैं।
- **2025 में**, प्रधानमंत्री मोदी ने *दीवाली* के कारण वर्चुअल रूप से भाग लिया, जबकि **विदेश मंत्री एस. जयशंकर** ने व्यक्तिगत रूप से भारत का प्रतिनिधित्व किया और अमेरिकी प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय वार्ता की।

निष्कर्ष:

47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 क्षेत्रीय एकता, समावेशन, और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है।

भारत के लिए यह केवल एक राजनयिक मंच नहीं, बल्कि **आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक साझेदारी और इंडो-पैसिफिक स्थिरता** को सुदृढ़ करने का अवसर है

वंदे मातरम् : भारत का राष्ट्रगीत

समाचार में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 7 नवंबर को *‘वंदे मातरम्’* के **150 वर्ष पूरे होने** के उपलक्ष्य में उत्सवों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। अपने रेडियो कार्यक्रम **‘मन की बात’** के 127वें संस्करण में उन्होंने याद दिलाया कि यह ऐतिहासिक गीत **रवीन्द्रनाथ ठाकुर** द्वारा 1896 में पहली बार गाया गया था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में इसके भाव को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया।

वंदे मातरम् : भारत का राष्ट्रगीत:

- **वंदे मातरम्** (मूल बंगाली उच्चारण में *बंदे मातरम्*) भारत का एक **प्रमुख देशभक्ति गीत** है, जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में राष्ट्रीय भावना को स्वर दिया।
- इसकी रचना **बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय** ने की थी, जिन्होंने मातृभूमि को एक **दैवी माता के रूप में** चित्रित किया।
- **24 जनवरी 1950** को संविधान सभा ने इसे **भारत का राष्ट्रगीत** घोषित किया। इसे **जन गण मन** के समान सम्मान प्राप्त है।

उत्पत्ति और रचना:

- यह कविता **1870 के दशक** में **बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय** द्वारा रची गई थी। प्रारंभिक दो पद 1872 के आसपास लिखे गए माने जाते हैं, जिनमें बंगाल की प्राकृतिक सुंदरता और मातृभूमि की महिमा का वर्णन है।
- पूर्ण कविता में **छह पद** हैं, जो **संस्कृतनिष्ठ बंगाली** और **संस्कृत** भाषा में हैं। इसे 1882 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास **आनंदमठ** में शामिल किया गया।
- उपन्यास का पृष्ठभूमि **सत्रासी विद्रोह (1760-1800)** पर आधारित है, जहाँ साधु-संत मातृभूमि की देवी के रूप में पूजा करते हैं और **"वंदे मातरम्"** का उद्घोष करते हैं।

प्रथम प्रकाशन:

- यह कविता पहली बार **1875** में **बंगदर्शन** पत्रिका के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई, जो बंकिमचंद्र द्वारा स्थापित एक साहित्यिक पत्रिका थी।
- 1882 में **आनंदमठ** के प्रकाशन के साथ यह गीत व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ और **"बंगा माता"** से आगे बढ़कर पूरे भारत की प्रतीक बन गई।

प्रथम सार्वजनिक गायन और उपयोग:

- इसका पहला सार्वजनिक गायन **रवीन्द्रनाथ ठाकुर** ने **1896** में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन** में किया।
- **1905 के बंग-भंग आंदोलन** के दौरान यह गीत **स्वदेशी आंदोलन का नारा** बन गया — **"वंदे मातरम्"**।
- **1905 में बनारस अधिवेशन** में इसे कांग्रेस का आधिकारिक गीत बनाया गया।
- **बिपिनचंद्र पाल** और **श्री अरविंदो घोष** ने इसे क्रांतिकारी आंदोलन का **"मंत्र"** बताया।
- **1906 में** अरविंदो और पाल ने *Bande Mataram* नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1910 में प्रतिबंधित कर दिया गया।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- यह गीत **खुदीराम बोस** जैसे क्रांतिकारियों की प्रेरणा बना। ब्रिटिश सरकार ने 1906 में इसे और **आनंदमठ** को **देशद्रोही** घोषित कर प्रतिबंधित किया।
- **असहयोग आंदोलन (1920-22)** के दौरान यह गीत हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बना, लेकिन बाद में कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसके धार्मिक संदर्भों पर आपत्ति जताई।
- **1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन** में केवल पहले **दो पदों** को आधिकारिक गीत के रूप में अपनाया गया ताकि धार्मिक सद्भाव बना रहे।
- **1942 के भारत छोड़ो आंदोलन** में भी यह गीत जन-आंदोलन का प्रेरक स्वर बना रहा।

राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृति:

- स्वतंत्रता के बाद **24 जनवरी 1950** को संविधान सभा के अध्यक्ष **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** ने इसे राष्ट्रगीत घोषित किया, और कहा कि **"जन गण मन"** और **"वंदे मातरम्"** दोनों को समान सम्मान दिया जाए।
- केवल **पहले दो पद** गाए जाते हैं ताकि किसी धार्मिक विवाद से बचा जा सके।

- नवंबर 2022 में भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर पुनः पुष्टि की कि दोनों गीत समान स्तर पर हैं।

विवाद और विरासत:

- 1908 में मुस्लिम लीग ने इसके हिंदू प्रतीकवाद पर आपत्ति जताई, और 1962 में भी कुछ स्थानों पर इसे न गाने के विवाद हुए।
- 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में स्कूलों व कार्यालयों में इसके साप्ताहिक गान का आदेश दिया, जबकि यह भी स्पष्ट किया कि केवल गैर-विवादास्पद पद ही अनिवार्य हैं।
- इसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने 1896 में तैयार की थी, और बाद में ए. आर. रहमान सहित कई कलाकारों ने इसे पुनः स्वरबद्ध किया।

एआई मंत्री "डिएला" और डिजिटल शासन

समाचार में क्यों? सन् 2025 में अल्बानिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए "डिएला" (Diella) नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली को दुनिया की पहली एआई मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह कदम शासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास माना जा रहा है।

डिएला कौन है?

- **अर्थ और उत्पत्ति:** डिएला का अर्थ अल्बानियाई भाषा में "सूर्य" होता है।
- **स्वरूप:** यह एक एआई प्रणाली है, कोई मानव नहीं।
- **नियुक्ति:** प्रधानमंत्री एदी रामा ने मई 2025 में इसकी नियुक्ति की घोषणा की।
- **उद्देश्य:** सरकारी ठेकों और निविदाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और डेटा-आधारित निर्णय लेना।

"एआई बच्चों" की अवधारणा:

- प्रधानमंत्री रामा ने कहा कि "ये बच्चे अपनी मां को जानेंगे" — यह कथन प्रतीकात्मक था।
- डिएला से जुड़े 83 एआई सहायक तैयार किए गए हैं, जो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के 83 सांसदों की सहायता करेंगे।
- प्रत्येक एआई सहायक संसदीय कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेगा, नीतिगत सुझाव देगा, और बहसों का विश्लेषण करेगा।
- ये सभी "एआई बच्चे" डिएला की केंद्रीय नेटवर्क प्रणाली से जुड़े होंगे, जिससे सहयोगी और आत्म-सीखने वाला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा।

एआई मंत्री मॉडल कैसे लाता है जवाबदेही:

निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता:

- सभी निविदाएं और अनुबंध सार्वजनिक रूप से ट्रेस किए जा सकते हैं, जिससे हेराफेरी की संभावना घटती है।

एल्गोरिदमिक निष्पक्षता:

- निर्णय डेटा और दक्षता पर आधारित होंगे, न कि राजनीतिक या व्यक्तिगत पक्षपात पर।

भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर रोक:

- ठेके अब योग्यता आधारित होंगे, रिश्ते या सिफारिश नहीं चलेगी।

रीयल-टाइम मॉनिटरिंग:

- हर निर्णय की डिजिटल निगरानी और ऑडिटिंग से संस्थागत जवाबदेही बढ़ेगी।

जनविश्वास की पुनर्स्थापना:

- पारदर्शी व्यवस्था से नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा।

नैतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ:

1. जवाबदेही का अभाव:

- यदि एआई गलत निर्णय ले तो जिम्मेदार कौन होगा — प्रोग्रामर, मंत्री या सरकार?

2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी:

- शासन में संवेदनशीलता और नैतिक निर्णय की आवश्यकता होती है, जो एआई नहीं कर सकता।

3. डेटा और एल्गोरिदम में पक्षपात:

- एआई अपने डेटा स्रोतों से पक्षपात ग्रहण कर सकता है।

4. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:

- विशाल मात्रा में डेटा संग्रह से साइबर खतरों और दुरुपयोग की संभावना रहती है।

5. लोकतांत्रिक निगरानी की कमी:

- अत्यधिक एआई निर्भरता से मानव निर्णय और जनसहभागिता कमजोर हो सकती है।

वैश्विक प्रतिक्रिया:

- सकारात्मक पक्ष: इसे भ्रष्टाचार विरोधी नवाचार के रूप में सराहा गया।
- आलोचनात्मक पक्ष: कुछ विशेषज्ञों ने नैतिकता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर प्रश्न उठाए।
- मुख्य बहस: तकनीकी दक्षता और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन आवश्यक है।

आगे की राह (Way Forward):

1. स्पष्ट कानूनी ढाँचा बनाना:

- एआई द्वारा लिए गए निर्णयों की जवाबदेही तय करनी होगी।

2. मानव-एआई सहयोग:

- एआई को सहायक की भूमिका दी जाए, निर्णायक की नहीं।

3. नैतिक एआई मानक:

- एल्गोरिदम को पारदर्शी और नियमित ऑडिट योग्य बनाया जाए।

4. जन-जागरूकता और भागीदारी:

- नागरिकों को एआई शासन प्रक्रिया से अवगत कराना आवश्यक है।

5. अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देश:

- संयुक्त राष्ट्र, OECD जैसे संगठनों के साथ वैश्विक मानक तय किए जाएँ।

निष्कर्ष:

डिजिटल का उदय शासन में डिजिटल पारदर्शिता और एआई आधारित निर्णय प्रक्रिया की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हालाँकि इससे भ्रष्टाचार-निरोध और दक्षता बढ़ सकती है, लेकिन नैतिकता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक नियंत्रण जैसे प्रश्न भी उठने ही महत्वपूर्ण हैं। भविष्य का शासन मानव विवेक और एआई की क्षमता के संतुलित उपयोग पर निर्भर करेगा।

काकीनाडा बंदरगाह : भारत के प्रमुख बंदरगाह

समाचार में क्यों? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में तीव्र चक्रवाती तूफान 'मोंथा' (Cyclone Montha) के कारण काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) के तट के पास संभावित लैंडफॉल की संभावना को लेकर यह क्षेत्र सुर्खियों में है। काकीनाडा बंदरगाह (ऐतिहासिक रूप से 'कोरिंगा' के नाम से भी जाना जाता है) आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख तटीय शहर और बंदरगाह है। यह नए गठित गोदावरी जिलों क्षेत्र में काकीनाडा जिले का मुख्यालय है।

भारत के प्रमुख बंदरगाह:

भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें हाल ही में अधिसूचित गैलेथेया बे अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) भी शामिल है।

इनमें से 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर और 7 बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं।



प्रमुख बंदरगाहों की सूची:

बंदरगाह का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रमुख विशेषताएँ
दीनदयाल बंदरगाह (कांडला)	गुजरात	भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह (कार्गो मात्रा के आधार पर); पेट्रोलियम, अनाज, नमक का निर्यात; पश्चिमी तट का सबसे गहरा अप्रोच चैनल।
मुंबई बंदरगाह	महाराष्ट्र	सबसे पुराना बंदरगाह (स्थापना 1873); प्राकृतिक हार्बर; कपास, मसालों व सामान्य माल का प्रमुख केंद्र।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (जेएनपीटी/नावा शेवा)	महाराष्ट्र	भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह (50% से अधिक कंटेनर यातायात); स्वचालित टर्मिनल से दक्षता में वृद्धि।
मोरमुगाओ बंदरगाह (वास्को-द-गामा)	गोवा	लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक ; गहरा प्राकृतिक बंदरगाह; लगभग 20 मिलियन टन वार्षिक हैंडलिंग।
न्यू मंगलुरु बंदरगाह	कर्नाटक	सर्व-ऋतु बंदरगाह ; पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक हार्बर; पेट्रोलियम और कॉफी का निर्यात।
कोचीन बंदरगाह (कोच्चि)	केरल	केरल का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह ; कंटेनर, मसाले और चाय का निर्यात; मट्टनचेरी टर्मिनल की विशेषता।
चेन्नई बंदरगाह (मद्रास)	तमिलनाडु	दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह (स्थापना 1881); ऑटोमोबाइल, वस्त्र और उर्वरक का प्रमुख केंद्र; दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार।
कामराजार बंदरगाह (एन्नोर)	तमिलनाडु	भारत का पहला निगमित (Corporatized) बंदरगाह ; कोयला, लौह अयस्क और विद्युत संयंत्र सामग्रियों का प्रबंधन; चेन्नई का भार कम करता है।
वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (तूतीकोरिन)	तमिलनाडु	ग्रेनाइट और नमक का प्रमुख निर्यातक; कंटेनर और पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (POL) का संचालन।
विशाखापत्तनम बंदरगाह	आंध्र प्रदेश	भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह ; मात्रा के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा; लौह अयस्क और इस्पात का निर्यातक।
पारादीप बंदरगाह	ओडिशा	कार्गो मात्रा में सबसे व्यस्त (हाल ही में कांडला को पीछे छोड़ा); कोयला, लौह अयस्क और उर्वरक का संचालन।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (कोलकाता)	पश्चिम बंगाल	भारत का सबसे पुराना चालू बंदरगाह (स्थापना 1870); हुगली नदी पर नदीय बंदरगाह; दो डॉक (कोलकाता और हल्दिया); जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र।
गैलेथेया बे बंदरगाह	अंडमान व	नवीनतम (2024 में अधिसूचित); गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट हब;

बंदरगाह का नाम

राज्य/केंद्र
शासित प्रदेश

प्रमुख विशेषताएँ

निकोबार

कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने हेतु विकसित।

द्वीपसमूह

महुआदानर भेड़िया अभयारण्य : भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य

समाचार में क्यों? महुआदानर भेड़िया अभयारण्य, झारखंड के लातेहार ज़िले में स्थित है, और यह भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है जो पूरी तरह से **भारतीय ग्रे वुल्फ (Indian Grey Wolf)** के संरक्षण के लिए समर्पित है।

- इसकी स्थापना वर्ष **1976** में की गई थी।
- यह अभयारण्य जिम कॉर्बेट या रणथंभौर जैसे प्रसिद्ध टाइगर रिज़र्व की तुलना में कम प्रसिद्ध है, लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दूसरा भेड़िया अभयारण्य:

- **बांकापुर भेड़िया अभयारण्य (कर्नाटक)** को देश का दूसरा भेड़िया अभयारण्य माना जाता है।
- दोनों अभयारण्य **भारतीय ग्रे वुल्फ** की संकटग्रस्त जनसंख्या को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय ग्रे वुल्फ (Indian Grey Wolf) के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: *Canis lupus pallipes*
- यह पश्चिमी देशों के भेड़ियों की तुलना में **पतला, अधिक सतर्क और कम आवाज़ करने वाला** होता है।
- ये छोटे समूहों (पैक) में शिकार करते हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं, जिससे इनका रहस्य और बढ़ जाता है।
- **अनुमानित जंगली जनसंख्या:** 3,000 से भी कम (स्रोत: *Down To Earth*)
- **मुख्य खतरे:**
 - आवास का विनाश (Habitat Loss)
 - मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict)
 - शिकार योग्य जीवों की घटती संख्या (Declining Prey Base)

सांस्कृतिक जुड़ाव और संरक्षण:

- यह अभयारण्य **जनजातीय समुदायों** से घिरा हुआ है, जिनमें से **80% से अधिक 'सार्ना धर्म'** का पालन करते हैं।
- उनकी पारंपरिक मान्यता के अनुसार, लोग सर्दियों (नवंबर-फ़रवरी) के दौरान जंगल में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसा करने से वन देवता नाराज़ हो सकते हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि यही समय भेड़ियों के **प्रजनन काल (breeding season)** का होता है, जिससे **प्राकृतिक रूप से संरक्षण** सुनिश्चित होता है और मानव हस्तक्षेप कम हो जाता है।

पारिस्थितिक महत्व:

- भारतीय ग्रे वुल्फ पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी जनसंख्या को नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।
- भारत में जहाँ ध्यान मुख्यतः बाघ, तेंदुए या चीते जैसे आकर्षक प्राणियों पर केंद्रित है, वहीं भेड़िये जैव विविधता के कम आंके गए लेकिन अत्यंत आवश्यक घटक हैं।

भारत के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries in India):

भारत में 2025 तक 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो लगभग 1,23,762 वर्ग किलोमीटर (देश के कुल क्षेत्रफल का 3.76%) क्षेत्र को कवर करते हैं।

ये सभी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित हैं।

अभयारण्य का नाम	स्थान (राज्य)	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (किमी ²)	मुख्य विशेषताएँ / महत्व
कच्छ डेजर्ट वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी	गुजरात	1980	7,506	भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य; प्लेमिंगो, जंगली गधा, रेगिस्तानी लोमड़ी; शुष्क पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण।
गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य	गुजरात	1969	1,412	एशियाई शेरों का एकमात्र आवास (~300); तेंदुए, सांभर हिरण; यूनेस्को स्थल।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व	राजस्थान	1955	1,334	बंगाल टाइगर, ऐतिहासिक किले; प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत प्रमुख रिज़र्व।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व	पश्चिम बंगाल	1973	1,330	रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वन; यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।
काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व	असम	1905	1,032	एक सींग वाले गैंडे (~2,600); हाथी, बाघ; घासभूमि और बाढ़ क्षेत्रीय पारिस्थितिकी।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व	उत्तराखंड	1936	1,318	भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान; बाघ, हाथी; हिमालय की तलहटी की जैव विविधता।
पेरियार वन्यजीव अभयारण्य एवं टाइगर रिज़र्व	केरल	1950	925	हाथी, बाघ; झील पारिस्थितिकी तंत्र; पश्चिमी घाट में जल संरक्षण केंद्रित।
मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु	1940	321	भारत के सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक; हाथी, बाघ; नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा।
वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु	1936	0.3	भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य; प्रवासी पक्षी

अभयारण्य का नाम	स्थान (राज्य)	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (किमी ²)	मुख्य विशेषताएँ / महत्व
				(जैसे पेलिकन); आर्द्रभूमि संरक्षण।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व	मध्य प्रदेश	1994	542	बाघों की सफल पुनर्स्थापना ; तेंदुआ, गिद्ध; हीरे की खदानों पास में।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व	कर्नाटक	1974	880	बाघ, हाथी; नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा; प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत।
ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व	महाराष्ट्र	1955	1,727	भारत में सबसे अधिक बाघ घनत्व; बांस के जंगल; भालू, तेंदुआ।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	1977	758	बाघ, तेंदुआ; किपलिंग की <i>जंगल बुक</i> से प्रेरित; सागौन के जंगल।
भद्रा वन्यजीव अभयारण्य	कर्नाटक	1974	492	बाघ, हाथी; नदी पारिस्थितिकी; पक्षी दर्शन के लिए प्रसिद्ध।
चिनार वन्यजीव अभयारण्य	केरल	1984	90	संकटग्रस्त गिज़ल्ड जायंट गिलहरी ; औषधीय पौधे; पश्चिमी घाट में ट्रेकिंग स्थल।

Sevilla Forum on Debt क्या है?

समाचार में क्यों? **Sevilla Forum on Debt** एक स्पेन-नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसे **UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)** और **UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs)** का समर्थन प्राप्त है।

इसका उद्देश्य है :

- दुनिया भर के ऋणदाता (**creditors**), ऋणग्राही देश (**borrowers**), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, और शैक्षणिक जगत को एक साथ लाकर
- वैश्विक ऋण स्थिरता (**debt sustainability**), प्रभावी ऋण प्रबंधन, और नवाचारपूर्ण समाधान पर वैश्विक संवाद स्थापित करना।

पृष्ठभूमि:

- 2024 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण \$102 ट्रिलियन तक पहुँच गया था।
- इसमें से विकासशील देशों पर **\$31 ट्रिलियन** का कर्ज है और वे हर साल **\$921 बिलियन** ब्याज के रूप में चुका रहे हैं।

- यह मंच “Sevilla Platform for Action” के तहत शुरू हुआ और “Sevilla Commitment” के लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है — जो एक न्यायसंगत और टिकाऊ वैश्विक वित्तीय प्रणाली बनाने का रोडमैप है।

FfD4 (Fourth International Conference on Financing for Development) क्या है?

FfD4 यानी विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा आयोजित वैश्विक मंच है, जो

टिकाऊ विकास (sustainable development) के लिए धन की कमी और वैश्विक आर्थिक शासन (global economic governance) में सुधार पर केंद्रित है।

मुख्य जानकारी:

- **आयोजन स्थल:** सेविला (Seville), स्पेन
- **साल:** 2025
- **आयोजक:** United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)
- **उद्देश्य:**
 - विकास वित्त को जलवायु लक्ष्यों (climate goals) के साथ संरेखित करना
 - विकसित और विकासशील देशों के बीच विश्वास बहाल करना
 - न्यायसंगत वैश्विक वित्तीय तंत्र की स्थापना

मुख्य विशेषताएँ:

1. **बहु-हितधारक भागीदारी (Multi-Stakeholder Engagement):**
सरकारें, बहुपक्षीय संस्थान, नागरिक समाज और थिंक टैंक शामिल हैं।
2. **सुधार-उन्मुख एजेंडा (Reform-Oriented Agenda):**
 - बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) के पुनर्गठन पर ध्यान।
 - ऋण, कर नीति (taxation) और जवाबदेही (accountability) जैसे मुद्दों पर सुधार।
3. **जलवायु एजेंडा के साथ एकीकरण (Integration with Climate Agendas):**
COP30 (Belem) से पहले जलवायु वित्त (climate finance) और विकास वित्त को जोड़ने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है।

Seville Commitment और COP30 (Belem) की ओर मार्ग:

- **क्लाइमेट फाइनेंस लक्ष्य:** 2035 तक \$1.3 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य — इसे “Baku to Belem” (B2B) रोडमैप कहा गया।
- **कार्यान्वयन पर जोर:** अब केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि वास्तविक परिणाम (implementation) पर ध्यान।
- **नागरिक समाज की भागीदारी:** आदिवासी, महिलाएँ और युवा वर्ग के लिए अधिक प्रतिनिधित्व।
- **नए वित्तीय साधन:** प्राइवेट जेट टैक्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स जैसे **Global Solidarity Levies** प्रस्तावित किए गए ताकि ऋण-मुक्त जलवायु वित्त जुटाया जा सके।
- **न्याय और समानता (Equity):** अमीरतम 1% द्वारा 50% उत्सर्जन के लिए जवाबदेही की मांग।

भारत में डेटा सेंटर बूम और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)

समाचार में क्यों? पिछले दो दशकों से भारत की बिजली की मांग लगभग **5% वार्षिक दर** से बढ़ रही थी। लेकिन अब यह रफ़्तार तेज़ हो रही है। **डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), ग्रीन हाइड्रोजन, और 5G/इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** कार्यक्रमों के विस्तार ने बिजली की नई लहर पैदा कर दी है।

भारत के लिए डेटा सेंटर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

डेटा सेंटर की मांग को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण:

- **डिजिटल इंडिया और डेटा लोकलाइजेशन नीति**
- डेटा उपयोग में जबरदस्त वृद्धि
- **5G रोलआउट**, जिससे **AI** और **IoT** जैसे अनुप्रयोगों को बल मिला

भारत में यूरोप की तुलना में इंटरनेट उपयोगकर्ता दोगुने हैं, लेकिन डेटा सेंटर क्षमता केवल **1.4 GW** है, जबकि यूरोप की **10 GW**।

भविष्य की संभावना:

- 2027 तक क्षमता में **2-3 गुना वृद्धि**,
- और 2030 तक **5 गुना तक** बढ़ोतरी संभव।

AI डेटा सेंटर – ऊर्जा की नई भूख:

AI आधारित डेटा सेंटर अत्यधिक ऊर्जा-गहन होते हैं।

- पारंपरिक सर्वर: प्रति रैक 15–20 kW
- AI सर्वर (GPU आधारित): प्रति रैक 80–150 kW

वैश्विक अनुमान:

- 2024: 460 TWh
- 2030: 1,000+ TWh
- 2035: लगभग 1,300 TWh

उदाहरण:

- चीन में डेटा सेंटर की बिजली खपत हर साल **25% बढ़** रही है।
- अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में **Dominium Energy** को 5 वर्षों में **25% बिजली मांग वृद्धि** की उम्मीद है।

डेटा सेंटर कहाँ बन रहे हैं?

वैश्विक नेता:

- अमेरिका (51% वैश्विक क्षमता) — टेक्सास, नॉर्थवर्न वर्जीनिया, फ़ोनिक्स, ओहायो आदि प्रमुख हब।

उभरते बाजार:

- चीन, नॉर्वे, यू.के., जर्मनी, जापान और मलेशिया।

भारत के नए हब:

- विशाखापत्तनम (Google) और जामनगर (Reliance Industries)
- घरेलू कंपनियाँ: Yotta, AdaniConneX, Sify, CtrlS — मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में परियोजनाएँ।
- सरकार की IndiaAI Mission और निजी निवेश से भारत की AI-रेडी अर्थव्यवस्था की दिशा स्पष्ट है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

समुद्री आनुवंशिक संसाधन (Marine Genetic Resources – MGRs)

MGRs वे आनुवंशिक सामग्री हैं जो समुद्री जीवों (प्लांट्स, जानवर, सूक्ष्मजीव) से प्राप्त होती हैं और जिनमें **विरासत के कार्यात्मक इकाइयाँ** (functional units of heredity) होती हैं, जो वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और जैव-प्रौद्योगिकी (biotechnological) अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक या संभावित मूल्य रखती हैं।

उदाहरण: गहरे समुद्र की स्पंज या मूंगा से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री, जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक्स में किया जाता है।

मुख्य पहलू:

1. हाई सीज़स ट्रीटी (BBNJ Treaty):

- यह संधि हाई सीज़स के MGRs को “मानवता की सामान्य धरोहर” मानती है।
- इसका अर्थ है कि कोई भी एक राष्ट्र इन संसाधनों पर संप्रभुता (sovereignty) नहीं दावा कर सकता।

2. लाभ साझा करना (Benefit Sharing):

- संधि का मुख्य सिद्धांत: “उपयोग से उत्पन्न लाभ का निष्पक्ष और समान वितरण”।
- इसमें **आर्थिक और गैर-आर्थिक दोनों लाभ** शामिल हैं।
- एक तंत्र सुनिश्चित करता है कि **विकासशील देश** भी इसमें भाग ले सकें और लाभ प्राप्त कर सकें।

3. डिजिटल अनुक्रम जानकारी (Digital Sequence Information – DSI):

- संधि DSI से होने वाले लाभ साझा करने के तरीके को संबोधित करती है।
- अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि DSI की परिभाषा क्या होगी।
 - संकीर्ण परिभाषा: केवल DNA/RNA
 - व्यापक परिभाषा: आनुवंशिक डेटा के साथ संबंधित **परंपरागत ज्ञान** भी शामिल

4. पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge):

- संधि में **आदिवासी और स्थानीय समुदायों** के पारंपरिक ज्ञान से जुड़े MGRs के उपयोग और पहुँच के प्रावधान हैं।
- इसके लिए **मुफ्त, पूर्व और सूचित सहमति (Free, Prior and Informed Consent – FPIC)** आवश्यक है।

5. संरक्षण और उपयोग (Conservation and Use):

- MGRs के **सतत उपयोग** और **संरक्षण** के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य।
- इसमें शामिल हैं:
 - **क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (Area-Based Management Tools)**, जैसे **Marine Protected Areas (MPAs)**

- पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessments – EIAs), हाई सीज़्स में गतिविधियों के लिए

टिग्राय पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF)

खबरों में क्यों? हाल ही में इथियोपिया के अफार क्षेत्र (Afar Region) ने टिग्राय पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) द्वारा किए गए हमलों की सूचना दी है।

अफार अधिकारियों के अनुसार, TPLF के लड़ाकों ने क्षेत्र में घुसकर छह गाँवों पर कब्जा कर लिया और नागरिक इलाकों पर गोले दागे।

अफार प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो वह अपने बचाव के लिए सैन्य कार्रवाई करेगा।

ये घटनाएँ 2020–22 के गृहयुद्ध के बाद के तनावों का हिस्सा हैं, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई और एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ था।



पृष्ठभूमि: 2020–2022 का गृहयुद्ध:

- युद्ध नवंबर 2020 में शुरू हुआ था, जब इथियोपिया की संघीय सरकार और टिग्राय पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के बीच टकराव हुआ।
- TPLF एक शक्तिशाली राजनीतिक और सशस्त्र संगठन है, जो उत्तरी इथियोपिया के टिग्राय क्षेत्र से आता है।
- लड़ाई धीरे-धीरे पड़ोसी क्षेत्रों — अफार और अमहारा (Afar and Amhara) — में फैल गई।
- एरिट्रिया (Eritrea) की सेना ने भी इथियोपियाई सरकार का साथ दिया।
- युद्ध का अंत नवंबर 2022 में हुआ, जब दोनों पक्षों ने "प्रिटोरिया शांति समझौते (Pretoria Peace Agreement)" पर हस्ताक्षर किए।

- लेकिन अब भी कई **विवाद और तनाव** पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

टिग्राय पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के बारे में:

उत्पत्ति और भूमिका:

- **TPLF** की स्थापना **1970 के दशक** में एक **विद्रोही संगठन** के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य इथियोपिया की **सैन्य तानाशाही** के खिलाफ लड़ना था।
- बाद में यह **EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front)** नामक गठबंधन का हिस्सा बना, जिसने **1991 से 2018 तक** इथियोपिया पर शासन किया।
- इस दौरान **TPLF** ने राजनीति और सेना दोनों पर **मजबूत पकड़ बनाए रखी**।

संघर्ष की शुरुआत क्यों हुई?

- **2018 में प्रधानमंत्री अबी अहमद (Abiy Ahmed)** के सत्ता में आने के बाद TPLF का प्रभाव घटा दिया गया।
- अबी अहमद ने एक **नई सत्ताधारी पार्टी** बनाई और **TPLF नेताओं को हाशिये पर** कर दिया।
- इसके बाद **2020 में Tigray क्षेत्र** ने अपनी **अलग क्षेत्रीय चुनाव** कराए, जो संघीय सरकार के आदेशों की अवहेलना थी।
- इसके जवाब में **संघीय सेना** ने **TPLF के खिलाफ "कानून लागू करने की कार्रवाई"** (Law-enforcement campaign) शुरू की, जो जल्द ही **पूर्ण गृहयुद्ध** में बदल गई।

G2 (ग्रुप ऑफ़ टू)

"G2" शब्द का हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने उपयोग किया, और बाद में अन्य अधिकारियों और मीडिया ने भी इसे अपनाया। यह संभावित **"ग्रुप ऑफ़ टू"** वैश्विक व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन** दो प्रमुख वैश्विक महाशक्तियाँ होंगी।

संदर्भ और प्रभाव:

राजनीतिक / भू-आर्थिक संदर्भ:

- यह शब्द विशेष रूप से राजनीतिक और आर्थिक चर्चा में आया, खासकर ट्रंप और चीनी नेता **शी जिनपिंग** के **30 अक्टूबर, 2025 के साउथ कोरिया शिखर सम्मेलन** के बाद।
- ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा: **"THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!"** (G2 जल्द ही बैठक करेगा!)

शक्ति संतुलन:

- "G2" का प्रयोग एक **शक्ति समानता** या "भू-आर्थिक कंडोमिनियम" को दर्शाता है, जहाँ अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक मुद्दों का प्रबंधन करेंगे।
- यह अवधारणा अमेरिका द्वारा पिछले प्रशासनों में अस्वीकार की गई थी क्योंकि इससे अन्य सहयोगियों और भागीदारों को अलग किया जा सकता था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- "ग्रुप ऑफ़ टू" की अवधारणा पहली बार अमेरिकी अर्थशास्त्री **C. फ्रेड बर्गस्टेन** ने 2005 में प्रस्तावित की थी।
- इसके बावजूद, अमेरिकी प्रशासन ने पहले इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इससे उनके सहयोगियों में **असुरक्षा** पैदा हो सकती थी।

सहयोगी देशों की चिंताएँ:

- इस शब्द का पुनरुत्थान **भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया** जैसे अमेरिकी सहयोगियों में चिंता पैदा कर रहा है।
- ये देश डरते हैं कि अमेरिका चीन के साथ ऐसे समझौते कर सकता है जो उन्हें **हानिकारक** साबित हो सकते हैं।

भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (India-Africa Forum Summit - IAFS)

भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (IAFS) की शुरुआत साल 2008 में नई दिल्ली में हुई थी। इसमें 14 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया, जो मुख्यतः **NEPAD (New Partnership for Africa's Development)** के सदस्य थे। इस सम्मेलन ने **"Africa is Rising (अफ्रीका उभर रहा है)"** की दृष्टि के तहत भारत और अफ्रीका के बीच संस्थागत साझेदारी की नींव रखी।

मुख्य सम्मेलन:

पहला शिखर सम्मेलन – 2008, नई दिल्ली:

- 14 अफ्रीकी देशों की भागीदारी।
- उद्देश्य: भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और विकास साझेदारी की शुरुआत।

दूसरा शिखर सम्मेलन – 2011, अदीस अबाबा (इथियोपिया):

- 15 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया।
- परिणाम: **"अदीस अबाबा घोषणा (Addis Ababa Declaration)"** अपनाई गई।
- प्रमुख विषय:
 - राजनीतिक सहयोग,
 - व्यापार और निवेश,
 - क्षमता निर्माण (capacity-building),
 - शांति और सुरक्षा।

तीसरा शिखर सम्मेलन – 2015, नई दिल्ली:

- इसमें सभी 54 अफ्रीकी देशों को आमंत्रित किया गया, जिनमें से 41 देशों के राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख ने भाग लिया।
- परिणाम:
 - दिल्ली घोषणा (Delhi Declaration)
 - रणनीतिक सहयोग के लिए रूपरेखा (Framework for Strategic Cooperation)

- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
 - व्यापार,
 - बुनियादी ढाँचा,
 - ऊर्जा,
 - शिक्षा और मानव संसाधन विकास।

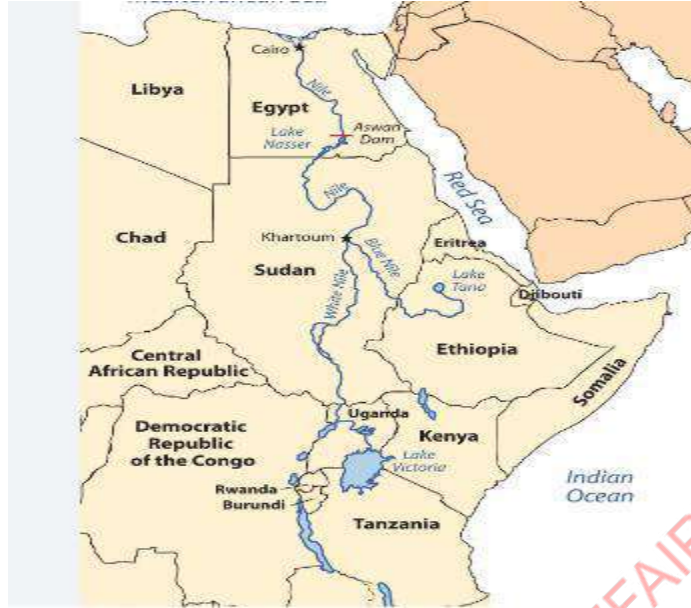
NEPAD- अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारी

- **स्थापना:** 2001
- **उद्देश्य:**
 - अफ्रीका के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा तैयार करना।
 - गरीबी उन्मूलन, सतत विकास को बढ़ावा देना,
 - और अफ्रीका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना।
- **आरंभ:**
 - यह पहल पाँच अफ्रीकी देशों के नेताओं द्वारा शुरू की गई थी — अल्जीरिया, मिस्र, नाइजीरिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों द्वारा।

उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र

भूगोल (Geography):

- **स्थान:** अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, सहरीन (सहारा) रेगिस्तान के उत्तरी हिस्से से भूमध्यसागर (Mediterranean Sea) के तट तक फैला।
- **देश:** प्रमुख देश हैं:
 - मिस्र (Egypt)
 - लीबिया (Libya)
 - ट्यूनीशिया (Tunisia)
 - अल्जीरिया (Algeria)
 - मोरक्को (Morocco)
 - सूडान (Sudan) और पश्चिमी सहारा (Western Sahara) कभी-कभी शामिल किए जाते हैं।



- क्षेत्रफल: लगभग 7.0 मिलियन वर्ग किलोमीटर।

भौगोलिक विशेषताएँ (Physical Features)

- सहारा रेगिस्तान: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका का प्रमुख भू-भाग।
- Atlas पर्वत श्रृंखला: मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली।
- नील नदी (Nile River): मिस्र और सूडान से होकर बहती है, कृषि और मानव बस्तियों के लिए जीवनरेखा।
- भूमध्यसागर तट: समुद्री व्यापार और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण।

चक्रवात 'मोंथा' (Cyclone Montha)

समाचार में क्यों? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अरब सागर में एक नया चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' (Montha) बना है, जो 28 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो आने वाले दिनों में अवदाब (Depression) से गंभीर चक्रवात में बदल सकता है।

चक्रवात 'मोंथा' का नाम कैसे पड़ा?

- उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र (North Indian Ocean Region) में आने वाले चक्रवातों के नाम पहले से तय सूची से लिए जाते हैं।
- इस सूची में नाम 13 सदस्य देशों द्वारा सुझाए जाते हैं।
- 'मोंथा' (Montha) नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया है।
- थाई भाषा में 'मोंथा' का अर्थ है – सुगंधित या सुंदर फूल (Fragrant/Beautiful Flower)।

चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया

- उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र (जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल हैं) में आने वाले चक्रवातों का नामकरण क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र (RSMC), नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।
- यह केंद्र भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा संचालित होता है।
- नामकरण की यह प्रक्रिया विश्व मौसम संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (UN-ESCAP) के पर्यवेक्षण में होती है।

दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि (TAC)

समाचार में क्यों? दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि (TAC) एक मूलभूत राजनयिक समझौता है जो इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देता है।

पृष्ठभूमि (Background):

- **हस्ताक्षर की तिथि:** 24 फरवरी, 1976
- **स्थान:** बाली, इंडोनेशिया
- **हस्ताक्षरकर्ता देश:** आसियान (ASEAN) के पाँच संस्थापक सदस्य — इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड
- **उद्देश्य:** दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए एक ढांचा तैयार करना।

मुख्य सिद्धांत (Core Principles):

TAC पाँच प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) और अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों से प्रेरित हैं:

1. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान।
2. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
3. विवादों के समाधान में बल प्रयोग या बल की धमकी न देना।
4. विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
5. सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग।

आइनी एयरबेस (Ayni Airbase)

समाचार में क्यों? भारतीय सेना ने ताजिकिस्तान में स्थित रणनीतिक आइनी एयरबेस (Ayni Airbase) से अपनी उपस्थिति समाप्त कर दी है। यह निर्णय भारत और ताजिकिस्तान के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद लिया गया है।

ताजिकिस्तान के बारे में जानकारी:

स्थिति:

ताजिकिस्तान मध्य एशिया के हृदय में स्थित एक स्थलरुद्ध (Landlocked) देश है।

सीमाएँ:

यह उत्तर में **किर्गिस्तान**, पश्चिम में **उज़्बेकिस्तान**, पूर्व में **चीन**, और दक्षिण में **अफ़ग़ानिस्तान** से घिरा हुआ है।

- **संगठन में सदस्यता:**

ताजिकिस्तान **शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation - SCO)** का सदस्य देश है।

- **राजनीतिक व्यवस्था:**

देश में **राष्ट्रपति प्रणाली** लागू है।

विधायी (Law-making) कार्य **द्विसदनीय संसद (bicameral parliament)** द्वारा किया जाता है।



भौगोलिक विशेषताएँ (Geographic Features):

- **स्थलाकृति (Terrain):**

यह एक पर्वतीय देश है, जहाँ उत्तर में **अलाय पर्वत (Alay Mountains)** और दक्षिण-पूर्व में **पामीर पर्वत (Pamir Mountains)** स्थित हैं।

- **सर्वोच्च बिंदु (Highest Point):**

कुल्लाई इस्मोइली सोमोनी (Qullai Ismoilī Somoni) – ऊँचाई लगभग **7,495 मीटर (24,589 फीट)**।

मुख्य नदियाँ:

सिर दर्या (Syr Darya) और **अमू दर्या (Amu Darya)** प्रमुख नदियाँ हैं।

जलवायु (Climate):

यहाँ की जलवायु **मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय** है — गर्मी के मौसम में गर्म और सर्दियों में हल्की ठंड; पामीर पर्वतों में अर्ध-शुष्क से ध्रुवीय (semiarid to polar) जलवायु पाई जाती है।

- **मुख्य झीलें:**

कराकुल झील (Lake Karakul) और इस्कंदरकुल झील (Iskanderkul) प्रसिद्ध हैं।

- **प्राकृतिक संसाधन:**

पेट्रोलियम, यूरेनियम, मरकरी (पारा), भूरे कोयले, सीसा (Lead), जस्ता (Zinc), एंटीमनी, टंगस्टन, चाँदी, सोना आदि।

- **राजधानी:**

दुशांबे (Dushanbe)
